CGRN040003582023

MOHANEE KANWAR

Digitally signed by MOHANEE KANWAR

Presented on : 11-07-2023
Registered on : 11-07-2023
Decided on : 24-09-2025
Duration : 2 years, 2 months, 13 days

Form D

न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़

राजस्व जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी-कु. मोहनी कंवर)

निर्णय दिनांक 24 सितम्बर 2025

सत्र प्रकरण क्रमांक-17/2023

फाईलिंग नंबर -279/2023

संस्थित दिनांक -10/07/2023

CIS NO.-17/2023

अपराध क्रमांक-**50/2023**

आरक्षी केन्द्र	थाना **गण्डई** , जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)
अभियोजन	श्री ज्ञानदास बंजारे अपर लोक अभियोजक

आरोपी	01–**ज्वाला उर्फ फतेह** पिता स्व. गजेन्द्र प्रसाद यदु, उम्र 33 वर्ष 02–**केवल साहू** पिता फिरतू साहू, उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, थाना मोहगांव जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.)
आरोपी क्रमांक 01 की ओर से	श्री खगेन्द्र चुरहे अधिवक्ता
आरोपी क्रमांक 02 की ओर से	श्री सतीष सिंघानिया एवं श्री मनोज चौबे अधिवक्ता

Index

क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	2
3.	आरोप	5 से 6
4.	स्वीकृत तथ्य	6
5.	अभियोजन की कहानी	6 से 11
6.	साक्षियों का एवं प्रदर्शांकित दस्तावेजों का विवरण	12 से 19
7.	विचारणीय प्रश्न	21 से 23
8.	कारण एवं निष्कर्ष	23 से 95
9.	दण्ड	99

10.	अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा	100
11.	संपत्ति का व्ययन	100
12.	प्रतिकर का आदेश	101 से 102
13	धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र	103
14.	निर्णय की प्रति	104

Form E

विवरण	दिनांक
अपराध दिनांक	10/03/2023
प्रथम सूचना पत्र दिनांक	11/03/2023
आरोपीगण की गिरफ्तारी	12/03/2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	05/06/2023
आरोप पत्र विरचित दिनांक	04/08/2023
साक्ष्य प्रारंभ होने का दिनांक	14/11/2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	24/09/2025
निर्णय दिनांक	24/09/2025
दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो तो	कंडिका 115 के अनुसार दोषसिद्ध

आरोपीगण का विवरण

-

आरोपीगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने का दिनांक	आरोपित अपराध की धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में
ज्वाला प्रसाद यदु	12 मार्च 2023	–	186/34, 294, 506 भाग 2, 323/34, 323/34, 302/34 IPC	दोषसिद्ध	कुल 927 दिन
केवल साहू	12 मार्च 2023	18 अगस्त 2023	186/34, 294, 506 भाग 2, 323/34, 323/34, 302/34 IPC	दोषसिद्ध	कुल 159 दिन

न्यायालय–संजूलता देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 411/2023 ''छ.ग. राज्य विरूद्ध ज्वाला उर्फ फतेह व एक अन्य' अंतर्गत धारा 186, 294, 506, 323, 307, 302, 34 भारतीय दंड संहिता में दिनांक 27/06/2023 को पारित उपार्पण आदेश से उद्भूत यह सत्र प्रकरण।

–// निर्णय // –

(आज दिनांक 24 सितम्बर 2025 को घोषित)

(1) आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु एवं केवल साहू के विरूद्ध धारा 186/34, 294, 506 भाग 2, 323/34, 323/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिताके तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10/03/2023 की रात्रि लगभग 11.00 बजे स्थान ग्राम छोटा मानपुर परिवहन नाका थाना गण्ड़ई, जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में अन्य आरोपी के साथ मिलकर लोक सेवक के लोक कृत्य में बाधा डालने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त नाका में ड्यूटी पर रहे सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, चोवाराम पटेल एवं सफाईकर्मी नरेन्द्र कुमार धुर्वे के लोक कृत्य में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न कर सार्वजनिक स्थल या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थी या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, नरेन्द्र कुमार को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करते हुए पन्नालाल मेरावी एवं लोक सेवक नरेन्द्र कुमार को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उन्हें अपने कर्त्तव्य के निर्वहन को रोकने या भयोपरक करने के क्रम में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं इसी दौरान चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम

की हत्या करने का आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में साशय अपने वाहन क्रमांक सी.जी. 10 एफ. 6921 को अचानक रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र ठाकुर को ठोकर मारकर उसकी मृत्यु कारित किया ।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

(3) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–11/03/2023 की शाम लगभग 19.05 बजे प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.–01) के द्वारा थाना गण्डई में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत प्रदर्श पी–01 पेश किया गया कि वह परिवहन विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पदस्थ है । घटना दिनांक 10/03/2023 की रात्रि 11.00 बजे सुरक्षाकर्मी आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम एवं सफाईकर्मी नरेन्द्र कुमार धुर्वे के साथ वह चेक पोस्ट मानपुर नाका में ड्यूटी कर रहा था तभी वाहन क्रमांक सी.जी. 10 एफ 6921 का चालक/आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु वहां आकर रूका एवं उन्हें मादरचोद, भोसडीके बहनचोद आदि की अश्लील गाली गलौच कर चेक पोस्ट नाका को उखाड़कर फेंक देने की धमकी देते हुए उपस्थित सुरक्षाकर्मी व सफाई कर्मी एवं ग्रामवासी पन्नालाल मेरावी के साथ झूमा–झटकी करने लगा तब उसके द्वारा बीच बचाव कर मामला को शांत किया गया उक्त वाहन चालक उन्हें देख लुगा छोडुगा नही की धमकी व अभद्र गालियां देते हुए अपनी गाडी लेकर

वहां से चला गया, किंतु बाद में उक्त वाहन चालक अपने साथी अन्य आरोपी के साथ मौके पर पुनः आ गया एवं ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को मादरचोद, बहनचोद, भोसडी के अश्लील गाली–गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे अपने वाहन को फुल स्पीड में रिवर्स कर टक्कर मार दिया, जिससे चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम सिर के बल जमीन में गिर गया उसे गंभीर चोटें आई उपरांत उसे फुसकुराम मेमोरियल हास्पिटल कवर्धा उपरांत चंद्रयान हास्पिटल कवर्धा के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

(4) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी रहा है कि प्रार्थी की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.–11) के द्वारा आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु एवं उसके एक साथी के विरूद्ध थाना गण्डई में अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 186, 294, 323, 506 भाग 2, 307/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना हेतु लिया गया। दिनांक 12/03/2023 को घटनास्थल पर जाकर गवाहों के बताए अनुसार मौका नक्शा एवं स्थल पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–03 एवं प्रदर्श पी–04 तैयार किया गया तथा घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदान किए जाने बाबत तहसीलदार गण्डई को प्रदर्श पी–13 का ज्ञापन प्रेषित किया गया। घटना में आहत हुए

पन्नालाल मेरावी का मुलाहिजा फार्म भरकर मुलाहिजा हेतु सीएचसी गण्डई भेजा गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉ. चंद्रकांत उर्वसा (अ.साा.–08) के द्वारा मुलाहिजा करते हुए मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 प्रदान किया गया ।

(5) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी रहा है कि दिनांक 11/03/2023 को घटना के पश्चात आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल गण्डई ले जाया गया उपरांत फुसकुराम मेमोरियल हॉस्पिटल सिंघनपुरी कवर्धा में भर्ती कराया गया उपरांत उचित उपचार हेतु उसे चंद्रयान हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा में दिनांक 11/03/2023 की दोपहर 12.50 को ही भर्ती कराया गया जहां दिनांक 11/03/2023 से दिनांक 28/03/2023 तक आहत चिरजिवेन्द्र नेताम भर्ती रहा, किंतु उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर उपरांत मित्तल हास्पिटल पंडरी मोवा रायपुर में दिनांक 28/03/2023 को भर्ती कराया गया, किंतु दिनांक 01/04/2023 की दोपहर 12.30 बजे उसकी मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना प्रदर्श पी–19 के अनुसार विकास शांडिल्य (अ.सा.–17) के द्वारा दिए जाने पर थाना मोवा पंडरी रायपुर में मर्ग क्रमांक 0/30/2023 दर्ज किया गया । गवाहों को शव नक्शा पंचायतनामा के पूर्व नोटिस दिया जाकर शव को परीक्षण हेतु मेकाहारा अस्पताल रायपुर भेजा गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.–18) के द्वारा मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम के शव का विधिवत पीएम कर प्रदर्श

पी–24 के अनुसार रिपोर्ट प्रदान किया गया साथ ही मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को आयी चोटों के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी –35 दिया गया । दौरान विवेचना आरोपीगण के विरूद्ध पृथक से धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध किया गया ।

(6) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी रहा है कि आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु को धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्रदर्श पी–14 घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो क्रमांक सीजी 10 एफ 6921 को मय कागजात पेश करने हेतु दिया गया तत्पश्चात आरोपी आरोपी ज्वाला प्रसाद के पेश करने पर वाहन बोलेरो क्रमांक सीजी 10 एफ 6921 को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–06 के अनुसार जप्त किया गया उपरांत आहत चिरजिवेन्द्र नेताम की नियुक्ति आदेश एवं अन्य रजिस्टर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–05 के अनुसार जप्त किया गया । अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपीगण को क्रमशः प्रदर्श पी–07 एवं प्रदर्श पी–08 के अनुसार गिरफ्तार कर इसकी सूचना उनके परिजनों को प्रदर्श पी–15 एवं प्रदर्श पी–16 के अनुसार प्रदान किया गया । साक्षी रफिक खान (अ.सा.–10) से आरोपीगण के दुर्घटनाकारित वाहन का मुलाहिजा प्रदर्श पी–12 के अनुसार कराया गया । उपरांत सहायक उपनिरीक्षक राजेश ठाकुर (अ.सा.–15) के द्वारा संबंधित मर्ग जांच डायरी थाना गण्डई में लाकर पेश करने पर उसके द्वारा मर्ग

इंटीमेशन प्रदर्श पी–25 मर्ग क्रमांक 11/2023 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया ।

(7) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी रहा है कि दौरान विवेचना निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.–16) के द्वारा आहत चिरजिवेन्द्र का मृत्युकालिन कथन लेने के संबंध मे चंद्रायान हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा को प्रदर्श पी–22, 27 एवं तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कवर्धा को प्रदर्श पी–26 का ज्ञापन प्रेषित किया गया, किंतु मेडिकल ऑफिसर द्वारा आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बयान देने योग्य होना नहीं पाया गया । प्रदर्श पी–23 का ज्ञापन भेजकर आहत का बेडहेड टिकट एवं एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया । विवेचकगण द्वारा गवाहों का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया तथा आरक्षक का कर्त्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–33 विद्वान कमिटल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान के समक्ष पेश किया गया, जहां से प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय को उपार्पित किया गया ।

(8) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी रहा है कि विद्वान कमिटल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान द्वारा आरोपित अपराध का विचारण क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय का होने से यह प्रकरण दिनांक 27/06/2023 के आदेशानुसार उपार्पित किये जाने पर इस न्यायालय को दिनांक–10/07/2023

को प्राप्त हुआ । उपरांत इस न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 186/34, 294, 506 भाग 2, 323/34, 323/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत विधिवत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध कारित किए जाने से इंकार किया । आरोपीगण का अभिवाक् उन्हीं के शब्दों में अभिलिखित किया गया।

(9) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपीगण का परीक्षण किये जाने पर उन्होनें स्वयं को निर्दोष होना प्रकट करते हुए आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु ने आर टी ओ बेरियर में लगातार एक माह से उसे एंट्री फीस के लिए परेशान किया जाना उपरांत नहीं देने पर रंजिशवश झूठा फंसाए जाने का कथन किया, इसी प्रकार आरोपी केवल साहू द्वारा घटना के समय उपस्थित न होना परंतु आरोपी ज्वाला का दोस्त होने से उसे फंसाया जाना प्रकट किया है साथ ही आरोपीगण द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है ।

(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **SUO MOTO WRIT (CRL) NO. (S) :–01/2017 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2017** के आलोक में प्रारूप अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

प्रारूप– ''C''

{सूची : साक्षीगण–––अभियोजन/बचाव/न्यायालय}

सूची (A) अभियोजन साक्षीगण

PW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	प्रार्थी/प्रधान आरक्षक पारथ राम साहू	लिखित शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मौका नक्शा, स्थल पंचनामा, जप्ती कार्यवाही एवं धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
02.	साक्षी चोवाराम पटेल	धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
03.	आहत पन्नालाल मेरावी	मुलाहिजा रिपोर्ट, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन, मौका नक्शा, स्थल पंचनामा, जप्ती कार्यवाही, गिरफ्तारी पत्रक
04.	साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे	स्थल पंचनामा, जप्ती कार्यवाही, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन एवं आरोपीगण का गिरफ्तारी पत्रक
05.	साक्षी डॉ. मनीष जंघेल	धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
06.	साक्षी बिंदु नेताम	धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
07.	साक्षी मदन नेताम	धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
08.	मेडिकल ऑफिसर डॉ. चंद्रकांत उर्वसा	आहत पन्नालाल मेरावी का मुलाहिजा

09.	साक्षी चंद्रशेखर मेरावी	नोटिस, शव नक्शा पंचायतनामा, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन
10.	साक्षी रफिक खान	वाहन मुलाहिजा
11.	सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा	लिखित शिकायत पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, मौका नक्शा, स्थल पंचनामा, पटवारी नक्शा हेतु प्रेषित ज्ञापन, मुलाहिजा फार्म, नोटिस, जप्ती कार्यवाही, आरोपीगण की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी की सूचना, गवाहों का कथन
12.	मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष मित्तल	आहत का उपचारकर्ता
13.	मेडिकल डायरेक्टर डॉ व्यासनारायण चंद्रवंशी	आहत /मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम का उपचारकर्ता
14.	आरक्षक अजय चौधरी	शव परीक्षण हेतु ले जाना, शव सुपुर्दनामा, आम प्रमाण पत्र
15.	सहायक उपनिरीक्षक राजेश ठाकुर	मर्ग इंटीमेशन
16.	निरीक्षक अनिल शर्मा	मृत्यु कालिन कथन लेने एवं बेडहेड टिकट तथा एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में हास्पिटल एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित ज्ञापन, नोटिस,

		गवाहों का कथन, अंतिम प्रतिवेदन
17.	साक्षी आरक्षक विकास शांडिल्य	मृत्यु की सूचना देना
18.	मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू	पी एम रिपोर्ट एवं चोटों की प्रकृति के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट

सूची (B) बचाव साक्षीगण

DW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	निरंक	निरंक

सूची (B) न्यायालयीन साक्षीगण

DW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	निरंक	निरंक

{सूची : दस्तावेज––––अभियोजन/बचाव}

सूची (A) अभियोजन प्रदर्श दस्तावेज

क्रं.	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण
01.	प्रदर्श पी–01	प्रार्थी पारथराम साहू की लिखित शिकायत
02.	प्रदर्श पी–02	प्रथम सूचना रिपोर्ट

03..	प्रदर्श पी–03	मौका नक्शा
04.	प्रदर्श पी–04	स्थल पंचनामा
05.	प्रदर्श पी–05	प्रार्थी पारथराम साहू से ड्यूटी रजिस्टर एवं नियुक्ति आदेश का जप्ती पत्रक
06.	प्रदर्श पी–06	आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के दुर्घटनाकारित वाहन का जप्ती पत्रक
07.	प्रदर्श पी–07	आरोपी ज्वाला यदु का गिरफ्तारी पत्रक
08.	प्रदर्श पी–08	आरोपी केवल साहू का गिरफ्तारी पत्रक
09.	प्रदर्श पी–09	इंडोर पेसेंट रिकॉर्ड प्रदर्श पी–09
10.	प्रदर्श पी–10	शव नक्शा पंचायतनामा
11.	प्रदर्श पी–11	आहत पन्नालाल मेरावी का मुलाहिजा रिपोर्ट
12.	प्रदर्श पी–12	धारा 175 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
13.	प्रदर्श पी–13	दुर्घटनाकारित वाहन का मुलाहिजा
14.	प्रदर्श पी–14	घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदाय किए जाने बाबत तहसीलदार गण्डई को प्रेषित ज्ञापन
15.	प्रदर्श पी–15	आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु को दिया गया धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस

16.	प्रदर्श पी–16	आरोपी ज्वाला की गिरफ्तारी की सूचना
17.	प्रदर्श पी–17	आहत चिरजिवेन्द्र नेताम की नियुक्ति आदेश एवं घटना दिनांक को ड्यूटी रजिस्टर प्रदाय करने के संबंध में परिवहन अधिकारी परिवहन चेक पोस्ट मानपुरनाका जिला केसीजी को प्रेषित ज्ञापन
18.	प्रदर्श पी–18	मृतक का एडमिशन नोटशीट
19.	प्रदर्श पी–19	मित्तल हास्पिटल रायपुर द्वारा जारी अस्पताली मेमो पर मृत्यु की सूचना
20.	प्रदर्श पी–20	मृतक का बेड हेड टिकट एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदाय करने के संबंध में मित्तल हास्पिटल रायपुर को प्रेषित ज्ञापन
21.	प्रदर्श पी–21	चंद्रयान हास्पिटल कवर्धा में आहत/मृतक चिरजिवेन्द्र की भर्ती के संबंध में एडमिशन फार्म
22.	प्रदर्श पी–22	आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मरणासन्न कथन लेने के संबंध में मेडिकल ऑफिसर चंद्रयान हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा को जारी ज्ञापन
23.	प्रदर्श पी–23	आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मरणासन्न कथन लेने के संबंध में मेडिकल ऑफिसर चंद्रयान हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा को जारी ज्ञापन
24.	प्रदर्श पी–24	आरक्ष्क अजय चौधरी का कार्य प्रमाण पत्र

25.	प्रदर्श पी–25	मर्ग इंटीमेशन
26.	प्रदर्श पी–26	आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मरणासन्न कथन लेने के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कवर्धा को जारी ज्ञापन
27.	प्रदर्श पी–27	आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मरणासन्न कथन लेने के संबंध में मेडिकल ऑफिसर चंद्रयान हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा को जारी ज्ञापन
28.	प्रदर्श पी–28	साक्षी बिन्दु नेताम को दिया गया धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
29.	प्रदर्श पी–29	साक्षी बिन्दु नेताम को दिया गया धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
30.	प्रदर्श पी–30	साक्षी मदन नेताम को दिया गया धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
31.	प्रदर्श पी–31	साक्षी चंद्रशेखर मेरावी को दिया गया धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
32.	प्रदर्श पी–32	आहत को आयी चोटों के संबंध में क्वेरी कर रिपोर्ट प्रदाय करने के संबंध में जिला चिकित्सालय पेण्ड्री रायपुर को प्रेषित ज्ञापन

33.	प्रदर्श पी–33	अंतिम प्रतिवेदन
34.	प्रदर्श पी–34	आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मरणासन्न कथन लेने के संबंध में तहसीलदार पण्ड्री क्षेत्र रायपुर को जारी ज्ञापन
35.	प्रदर्श पी–35	मृतक का शव परीक्षण रिपोर्ट
36.	प्रदर्श पी–36	पीएम रिपोर्ट में त्रुटि सील लगाने के संबंध में प्रेषित ज्ञापन

सूची (B) बचाव प्रदर्श दस्तावेज

क्रं.	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण
01.	प्रदर्श डी–01	प्रार्थी पारथराम साहू का पुलिस कथन
02.	प्रदर्श डी–02	साक्षी नरेन्द्र कुमार का पुलिस कथन
03.	प्रदर्श डी–03	साक्षी डॉ मनीष जंघेल का पुलिस कथन
04.	प्रदर्श डी–04	साक्षी श्रीमती बिन्दु नेताम का पुलिस कथन
05.	प्रदर्श डी–05	साक्षी मदन नेताम का पुलिस कथन
06.	प्रदर्श डी–06	आहत/मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा में हुए ईलाज संबंधित दस्तावेज
07.	प्रदर्श डी–07	आहत/मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का चंद्रायन

		हास्पिटल कवर्धा में हुए ईलाज संबंधित दस्तावेज
	प्रदर्श डी–07 ए	शव सुपुर्दनामा
09.	प्रदर्श डी–09	अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना

सूची (C) आर्टिकल्स

क्रं.	**प्रदर्श क्रमांक**	**प्रदर्श का विवरण**
–	निरंक	निरंक

(11) **अभियोजन का तर्क –** अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से आरोपीगण के विरूद्ध कथन किया है । यद्यपि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथराम साहू, पन्नालाल साहू एवं नरेन्द्र कुमार रहे है, जो फारेस्ट नाका मानपुर बेरियर नाका में अपने लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे आरोपीगण के द्वारा दो भाग में घटना कारित किया गया है । प्रथम भाग में आरोपीगण घटनास्थल पर आकर प्रार्थी व आहतगण के साथ अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए वाद विवाद कर देख लेने की धमकी दिए उपरांत दूसरे भाग में कुछ समय पश्चात अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपीगण अपने वाहन से आकर वाद विवाद कर जानबूझकर पीछे से आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किए जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में ईलाज के दौरान आहत

चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु हो गयी । प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा घटना को प्रमाणित किया गया है । प्रकरण में अभियोजन, आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है । उपरोक्तानुसार आरोपीगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया ।

(12) **बचाव पक्ष का तर्क –** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित विस्तृत अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया है साथ ही मौखिक तर्क किया गया है कि **आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु** के विरूद्ध किसी भी साक्षी ने कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में अत्यधिक लोप है , इसलिए उनके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु पेशे से वाहन चालक है, इसी आय से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आरोपी का मध्यप्रदेश आना–जाना लगा रहता है, इस बीच ग्राम मानपुर में बेरियर नाका है, जिसमें आरटीओ कर्मचारियों द्वारा वाहन चालको से अवैध वसूली किया जाता है जब आरोपी ज्वाला द्वारा मना किया गया तो उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया, वहीं उसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं किया गया है, बल्कि उक्त दुर्घटना अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से हुयी है, यदि यह मान भी लिया जाता है कि आरोपी द्वारा ही ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया तो उसके द्वारा जानबूझकर हत्या करने के आशय से ठोकर नहीं मारा गया है, बल्कि यह एक दुर्घटनावश है जो धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता

के अंतर्गत आता है । अभियोजन अपना मामला किसी भी प्रकार से प्रमाणित करने में असफल रहा है । उपरोक्तानुसार आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

(13) इसी प्रकार **आरोपी केवल साहू के विद्वान अधिवक्ता** का तर्क रहा है कि आरोपी घटना के समय उपस्थित नहीं रहा है । प्रकरण के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के द्वारा घटना के समय आरोपी केवल साहू की उपस्थिति प्रमाणित नहीं किया गया है, वहीं अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया हो जिससे यह माना जाए कि आरोपी केवल साहू घटना के समय मौजूद था । आरोपी केवल साहू , आरोपी ज्वाला का दोस्त है, इसी कारण उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया है, उक्त अपराध में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है और न ही उपरोक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है । अभियोजन द्वारा उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है । अतः आरोपी केवल साहू को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

(14) प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है–

01– क्या मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की मृत्यु की प्रकृति मानववध/हत्यात्मक है ?

02– क्या आरोपीगण ने दिनांक 10/03/2023 की रात्रि लगभग 11.00 बजे स्थान ग्राम छोटा मानपुर परिवहन नाका थाना गण्डई, जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में अन्य आरोपी के साथ मिलकर लोक सेवक के लोक कृत्य में बाधा डालने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त नाका में ड्यूटी पर रहे सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, चोवाराम पटेल एवं सफाईकर्मी नरेन्द्र कुमार धुर्वे के लोक कृत्य में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न किया ?

03– क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय एवं सार्वजनिक स्थल या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थी या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

04– क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय एवं स्थान पर चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, नरेन्द्र कुमार को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

05– क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर पन्नालाल मेरावी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

06– क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे लोक सेवक नरेन्द्र कुमार एवं पन्नालाल मेरावी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में उन्हें अपने कर्त्तव्य के निर्वहन को रोकने या भयोपरक करने के क्रम में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

07– क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय एवं स्थान पर चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की हत्या करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में साशय अपने वाहन क्रमांक सी.जी. 10 एफ. 6921 को अचानक रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र ठाकुर को ठोकर मारकर उसकी मृत्यु कारित किया ?

08– दोषसिद्धी एवं दण्डादेश ?

–// निष्कर्ष के आधार //–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष

(15) अभियोजन के अनुसार आरोपीगण के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या करने की नियत से चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को अपने बोलेरो वाहन से जानबूझकर ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी इसके लिए यह देखना होगा कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक/आपराधिक मानव वध स्वरूप का होने के संबंध में किस तरह के साक्ष्य अभिलेख में मौजूद है ।

(16) प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में बताया है कि घटना के पश्चात आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की पत्नि व चाचा को फोन से घटना की जानकारी देकर चेकपोस्ट बुलाया और आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को उपचार

हेतु शासकीय अस्पताल गण्डई ले जाया गया, जहां उपचार नहीं होने पर उसकी पत्नि के कहने पर सिंघनपुरी कवर्धा अस्पताल लेकर गए थे । साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–02) एवं आहत/मृतक की पत्नि बिन्दु नेताम (अ.सा.क्रं.–06), मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष जंघेल (अ.सा.क्रं.–05) ने अपने–अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है ।

(17) फुसकुराम मेमोरियल हास्पिटल सिंघनपुरी कवर्धा के मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष जंघेल (अ.सा.क्रं.–05) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 11/03/2023 की रात्रि 01 बजे आहत चिरजिवेन्द्र कुमार को उसके परिजन द्वारा उसके क्लीनीक में ईलाज हेतु लाया गया था तब वह बातचीत कर रहा था उसके द्वारा अपने सिर में दर्द होना बताया गया था वहीं उसके नाक व कान से खून बह रहा था । उपरांत उसके द्वारा आहत का उपचार किया गया था । साक्षी ने आगे बताया है कि आहत का सामान्य जांच करने पर उसने पाया कि आहत के सिर में अंदरूनी चोट लगा था एवं नाक व कान से खून बह रहा था इसके अतिरिक्त उसके शरीर में अन्य कोई चोट के निशान नही थे जिसमे इंजेक्शन व ड्रेसिंग किया गया था ।

(18) मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष जंघेल (अ.सा.क्रं.–05) ने अपने कथन में बताया है कि आहत उनके हास्पिटल में लगभग 5 से 6 घंटे तक रूका था, किंतु सिर

में चोट लगने से उसे झटका आ रहा था उपरांत वह बेहोश हो गया था तब उसकी स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था, किंतु उसके परिजन उसे चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा उपचार हेतु ले गये थे । उपरांत पुलिस वाले उसके पास बयान लेने के लिए आये थे और पुलिस द्वारा आहत चिरजिवेन्द्र कुमार का फुसकू राम मेमोरियल हास्पिटल का इंडोर पेशेंट रिकार्ड प्रदर्श पी–09 जप्त किया गया था ।

(19) मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष जंघेल (अ.सा.क्रं.–05) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि आहत के मुंह से शराब की गंध आ रही थी जिस समय आहत द्वारा घटना की जानकारी दिया गया था उस समय वह होश में था, आगे अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि आहत के मुंह से शराब की गंध आ रही थी इसलिए परिजनों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को देने से मना किया था, स्वतः कहा है कि सुबह पुलिस को सूचना दिया जाता, किंतु आहत की हालत खराब होने से उसे रेफर किया गया था, अपने प्रतिपरीक्षण में आगे स्वीकार किया है कि उक्त चोटें सड़क दुर्घटना का परिणाम है । इस प्रकार इस साक्षी ने अपने कथन में आहत को सडक दुर्घटना में गंभीर उपहति कारित होना बताया है ।

(20) आहत/मृतक की पत्नि बिन्दु नेताम (अ.सा.क्रं.–06) ने अपने कथन में बतायी है कि उसके पति की हालत गंभीर होने से उसे चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा में

भर्ती कराए थे जहां वह लगभग 18 दिन भर्ती था, किंतु आराम न मिलने पर से रेफर उपरांत मित्तल हास्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया था जहां दिनांक 01/04/2023 को उसके पति की मृत्यु हो गयी । साक्षी पारथराम साहू (अ.सा.क्रं.–01), नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04), एवं साक्षी मदन नेताम (अ.सा.क्रं.–07), चंद्रशेखर मेरावी (अ.सा.क्रं.–09) ने अपने –अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों को बताए है ।

(21) चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा के मेडिकल ऑफिसर/सर्जन डॉ. व्यास नारायण चंद्रवंशी (अ.सा.क्रं.–13) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 11/03/2023 की दोपहर लगभग 12.50 बजे आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को उसके अस्पताल में रेफर उपरांत उपचार हेतु लाया गया था तब उसने आहत का परीक्षण करने पर पाया कि आहत के सिर में गंभीर चोटे आई हुई थी जिसके कारण उसका आपरेशन कराने की सलाह देकर उसका आपरेशन किया गया था इस दौरान आहत बात करने की स्थिति में नही थी । विवेचनाधिकारी निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 11, 19/03/2023 को आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मृत्यु कालिन कथन लेने हेतु मेडिकल आफिसर चंद्रायन हेल्थ केयर हास्पिटल कवर्धा को क्रमशः

प्रदर्श पी–22 एवं प्रदर्श पी–27 एवं आहत का बेडहेड टिकट एवं एक्सरे प्रदाय करने के संबंध में प्रदर्श पी–23 का ज्ञापन भेजा गया था ।

(22) विवेचक निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 29/03/2023 को तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रायपुर को आहत का मरणासन्न कथन दर्ज किए जाने के संबंध में प्रदर्श पी –34 का ज्ञापन प्रेषित किया गया था, किंतु मित्तल हास्पिटल के चिकित्सक डॉ.आशीष मित्तल (अ.सा.क्रं.–12) के कथनों के अनुसार आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को जब उसके अस्पताल में लाया गया था तब उसके सिर में गंभीर चोट आयी थी, वह बेहोशी की हालत में था एवं उसका मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था । इस प्रकार संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहत का कोई मृत्युकालिन कथन दर्ज नहीं किया गया है । इस प्रकार विवेचक द्वारा आहत का मृत्युकालिन लेने का भरसक प्रयास किया गया है ।

(23) चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा के मेडिकल ऑफिसर/सर्जन डॉ. व्यास नारायण चंद्रवंशी (अ.सा.क्रं.–13) ने उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है एवं आगे बताया है कि आहत चिरजिवेन्द्र नेताम दिनांक 11/03/2023 से दिनांक 28/03/2023 तक उसके अस्पताल में भर्ती था, किंतु आहत के परिजनों के द्वारा

उसे डिस्चार्ज करा लिया गया था । साक्षी ने आगे बताया है कि प्रदर्श पी –23 के ज्ञापन के परिपालन में उनके अस्पताल द्वारा आहत के उपचार से संबंधित दस्तावेज जो कि 5 पन्नों में है प्रदान किया गया था जब आहत को उपचार हेतु उनके हास्पिटल में लाया गया था तब वह होश में था, किंतु बात करने की स्थिति में नहीं था । इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि एडमिशन फार्म प्रदर्श पी –21 में आहत की हिस्ट्री नही लिखा गया है तथा उसके द्वारा आहत की लिखी गई हिस्ट्री प्रदर्श डी–06 में A से A भाग पर RTA लिखा है, जिसका मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट होता है । इस प्रकार इस साक्षी ने आहत को गंभीर अवस्था में उनके हास्पिटल में भर्ती कर उसके सिर का ऑपरेशन किया जाना बताया है, जिससे यह दर्शित होता है कि आहत के सिर में गंभीर संघातिक चोटें कारित हुयी थी ।

(24) मित्तल हास्पिटल पंडरी रायपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष मित्तल (अ.सा.क्रं.–12) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 28/03/2023 को आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को उसके परिजन द्वारा गंभीर अवस्था में उनके अस्पताल में लाया गया था इस दौरान आहत की पत्नि ने बताया था कि दुर्घटना के कारण आहत के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण आहत को चंद्रायन हास्पिटल कबीरधाम में भर्ती कराया गया था जहां आहत के गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके मस्तिष्क का आपरेशन भी किया गया था । इस साक्षी ने आगे बताया है कि जब आहत को उनके

पास लाया गया था तब उसकी स्थिति नाजुक थी उसे श्वास लेने में दिक्कत जा रही थी उसे गले के माध्यम से ट्यूब लगाकर आक्सीजन दिया जा रहा था सिर के बांये साईड में पट्टी लगी हुई थी आहत इस दौरान बेहोशी की स्थिति में था, जांच के दौरान आहत के संपूर्ण शरीर में संक्रमण फैल गया था जिसके कारण उसकी किडनी भी प्रभावित हो रही थी उनके द्वारा आहत की स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल वेंटिलेटर पर रखकर उसका उपचार किया गया था ।

(25) मित्तल हास्पिटल पंडरी रायपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष मित्तल (अ.सा.क्रं.–12) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 01/04/2023 को समय दोपहर 12.30 बजे आहत की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई, उपरांत हास्पिटल द्वारा इसकी सूचना थाना पंडरी मोवा को दिया गया था जिसके बाद पुलिस वाले पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये थे आहत को उनके अस्पताल में दाखिल किये जाने संबंधित एडमिशन फार्म प्रदर्श पी–18 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । अस्पताल द्वारा थाना पंडरी मोवा को आहत की मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–19 के अनुसार प्रदान किया गया था । साक्षी मित्तल हास्पिटल रायपुर के कर्मचारी विकास शांडिल्य (अ.सा.क्रं.–17) ने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है ।

(26) सहायक उपनिरीक्षक राजेश ठाकुर (अ.सा.क्रं.–15) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 20/05/2023 को थाना मोवा पंडरी रायपुर के मर्ग क्रमांक 0/30/2023 में चिरजिवेन्द्र नेताम पिता मनहरण नेताम के मृत्यु के संबंध में सूचनाकर्ता विकास शांडिल्य के द्वारा थाना गण्डई में आकर सूचना पेश करने पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी –25 के अनुसार मर्ग क्रमांक 11/2023 धारा 174 द.प्र.सं. का के तहत दर्ज किया गया था । इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–25 के ब से ब भाग पर "दुर्घटना का प्रकार सिर एवं शरीर में गंभीर चोट सड़क हादसा में" उल्लेखित किया है तथा आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी –25 का मर्ग इंटीमेशन उसे प्राप्त आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रदर्श डी–09 के आधार पर लिखा गया है ।

(27) आरक्षक अजय चौधरी (अ.सा. क्रं.–14) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 01/04/2023 को थाना प्रभारी के द्वारा मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम के शव का पी एम कराने हेतु उसे कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर शव परीक्षण आवेदन फार्म भरकर दिया गया था । उपरांत वह इसी दिनांक को मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम के शव को परीक्षण हेतु जिला अस्पताल रायपुर लेकर गया था । उपरोक्त तथ्यों का समर्थन शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने कथन में किया है । आरक्षक ने अपने कथन में बताया है कि मृतक का शव परीक्षण कराकर मृतक का शव

उसके परिजनों को सुपुर्दनामा पर दिया गया था उपरांत उसके द्वारा पी एम कराकर दिनांक 02/04/2023 को थाना पण्डरी रायपुर में अपना आमद प्रदर्श पी–24 के अनुसार दिया गया था।

(28) मेकाहारा हास्पिटल रायपुर में पदस्थ शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 01/04/2023 को थाना पण्डरी के आरक्षक क्रमांक 2210 अजय चौधरी के द्वारा मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम पिता मनहरण नेताम, उम्र–35 साल निवासी मानपुर, थाना गण्डई जिला–राजनांदगांव के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था । मृतक के शव का परीक्षण करने पर उसने पाया कि मृतक की कद काठी सामान्य थी मृतक को सफेद कपड़े में लपेटकर लाया गया था । मृतक के आंख, मुंह बंद थे सभी दांत सही सलामत थी शुरूआती जांच मे उसने पाया कि शरीर मे अकड़न नहीं था, शरीर के पिछले हिस्से पर खुन का थक्का जमा हुआ था । मृतक के सामने सिर से लेकर पीछे हिस्से तक 35 से.मी. टांका लगा हुआ था, मृतक के शरीर में सांस लेने के लिए छेद किया जाता है वह भी पाया गया था, मृतक के बाएं तरफ हाईपोकॉन्ड्रियम के नीचे वाले स्थान पर 13 से 14 से.मी. का टांका लगा हुआ घाव था जिस पर छुने से हड्डी का एहसास हो रहा था । मृतक के दोनों हाथों इंजेक्शन लगाने के स्लाईन के निशान

पाए गए थे, इसके अलावा मृतक के बाह्य शरीर पर किसी प्रकार का कोई चोंट के निशान नहीं पाया गया था ।

(29) शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने कथन में आगे बताया है कि मृतक के शव परीक्षण के दौरान मृतक के खोपड़ी के बाएं भाग में फैक्चर पाया गया था, जो कटे–फटे घाव थे जो 16 × 12 से.मी. था । पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा श्वासनली ग्रसनी सही हालत में थे । पेट के अंदर पानी जैसा पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में गैस थी, बडी आंत के अंदर गैस एवं शौच भरा था, विकृत, प्लीहा, गुर्दा सही हालत में था कहीं–कहीं खून जमा था एवं मूत्राशय खाली था, भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रियां सही हालत में थी ।

(30) शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने अभिमत में बताया है कि मृतक के सड़क दुर्घटना में चोंट आने के कारण उसके शरीर से अधिक रक्त स्त्राव होने के कारण श्वास एवं हृदय बंद हो चुका था, जिस कारण उसकी मृत्यु कारित हुयी थी । मृतक की मृत्यु का समय परीक्षण से 24 घंटे के पूर्व की हो सकती है । मृतक को आई चोटों से मृतक की मृत्यु की प्रकृति **दुर्घटनात्मक** हो सकती है । इस संबंध में उसके द्वारा दिया गया शव परीक्षण रिपोर्ट–24 है जिसके अ से अ, ब से ब एवं स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

(31) निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा मृतक को आयी चोटों के संबंध में क्वेरी कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत डॉ सोनाली साहू जिला चिकित्सालय पंडरी रायपुर को प्रदर्श पी–32 का ज्ञापन प्रेषित किया गया था । उपरोक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने कथन में आगे बताया है कि मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को आयी चोंट के संबंध में क्वेरी करने पर उसने पाया कि मृतक चिरजिवेन्द्र को आयी चोट से अधिक रक्त स्त्राव होने के कारण उसकी मृत्यु होना संभव होना बताया गया था । मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम को आयी चोटें घातक एवं गंभीर प्रकृति की थी, इस संबंध में उसके द्वारा दिया गया क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–35 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उपरोक्त तथ्यों का बचाव पक्ष की ओर से किसी प्रकार से कोई खंडन नहीं किया जा सका है ।

(32) प्रकरण में जो स्थिति है उसके अनुसार यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वाहन से ठोकर लगने से चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को उपचार हेतु गंडई अस्पताल ले जाया गया था, किंतु परिजनों द्वारा उसका ईलाज न होना देखते हुए उसे फुसकुराम मेमोरियल हास्पिटल कवर्धा उपरांत उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा में भर्ती कराया गया था जहां चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम दिनांक

11/03/2023 से दिनांक 28/03/2023 तक भर्ती होकर उपचार कराया, इस दौरान आहत के सिर का ऑपरेशन किया गया एवं बोलने की स्थिति में न होने के कारण उसका मरणासन्न कथन नहीं लिया जा सका तथा आहत की स्थिति में सुधार न होने से उसे रायपुर स्थित मित्तल हास्पिटल में भर्ती कराया गया, किंतु दिनांक 01/04/2023 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी । प्रकरण में आए साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आहत/मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को वाहन के ठोकर से उसके सिर में संघातिक चोटें कारित हुयी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो गयी । मित्तल हास्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष मित्तल (अ.सा.क्रं.–12) एवं चंद्रायन हास्पिटल कवर्धा के मेडिकल ऑफिसर/सर्जन डॉ. व्यास नारायण चंद्रवंशी (अ.सा.क्रं.–13) ने अपने अपने कथन में आहत चिरजिवेन्द्र को वाहन के ठोकर मारने से उपरोक्त संघातिक चोटें कारित होना बताया है । वहीं शव परीक्षणकर्ता मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने अपने अभिमत में आहत की मृत्यु की प्रकृति **दुर्घटनात्मक** होना बताया है ।

विचारणीय क्रमांक 02 से 08 का निष्कर्ष –

उपरोक्त सभी विचारणीय बिंदु आपस में एक दूसरे से जुडे हुए है, अतः साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा के दृष्टिकोण से उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं पर एक साथ निष्कर्ष दिया जा रहा है ।

वहीं आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान अभियोजन कार्यवाही, साक्षियों के साक्ष्य, के संबंध में अत्यधिक विस्तार से तर्क किया गया है, जिसे देखते हुए अभियोजन साक्षियों के कथनों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया जा रहा है । उपरोक्त तर्कों के परिपेक्ष्य में अब यह देखा जाना है कि क्या आरोपीगण के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में जानबूझकर अपने वाहन को पीछे लाकर मृतक को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर संघातिक चोटें पहुंचाई गयी ?

(33) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध रक्षपाल सिंह ए०आई०आर० 1953 इलाहाबाद 520, रामबालक सिंह विरूद्ध स्टेट ए०आई०आर० 1964 पटना 62 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भूखण्ड विरूद्ध स्टेट आफ उत्तरप्रदेश ए०आई ०आर० 1957 सुप्रीम कोर्ट 474** में अभिमत दिया गया है कि न्यायालय चिकित्सा रिपोर्ट से पृथक भी अन्य आधारों पर मृतक के शरीर में आयी चोंटों से अपराधिक मृत्यु के संबंध में उपधारणा कर सकती है । प्रकरण में मानव वध जनित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का साक्ष्य कराया गया है ।

(34) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 11/03/2023 को परिवहन प्रधान आरक्षक प्रार्थी पारथ राम परिवहन

चेक पोस्ट छोटा मानपुर के द्वारा आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु एवं उसके एक साथी के विरूद्ध थाना गण्डई में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रदर्श पी–01 पेश किया गया था, जिसके आधार पर उसके द्वारा प्रदर्श पी–02 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था । प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में प्रदर्श पी–01 की लिखित शिकायत एवं प्रदर्श पी–02 के प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है एवं अ से अ भाग पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है । प्रार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी लिखित शिकायत प्रदर्श पी–01 में अंदाज से समय का अंतर नहीं दर्शाया है तथा आहत को सिंघनपुरी में भर्ती कराकर चेक पोस्ट आ गया था, उनके चेक पोस्ट से सिंघनपुरी जाने के मार्ग में गण्डई थाना पडता है, किंतु थाना गण्डई में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था । उसके थाना प्रदर्श पी–01 की लिखित शिकायत थाना गण्डई में उसके उच्चाधिकारियों ने टाईप कराया था ।

(35) प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–02 की रिपोर्ट विलंब से लिखाने का जो स्पष्टीकरण उपर उल्लेखित किया है, उक्त स्पष्टीकरण को प्रदर्श पी–01 के आवेदन में नहीं लिखा है, किंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि नाके में पदस्थ कार्यरत कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर विभाग से सुविधा दिलाने के लिए वे लोग काफी सोच समझकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रदर्श पी–01 की झूठी शिकायत किए थे । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे

(अ.सा.क्रं.–04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त तथ्यों से इंकार किया है। विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि लिखित शिकायत प्रदर्श पी –01 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 दर्ज किया गया है जिसमें विलंब का कारण लेखबद्ध किया गया है, वहीं कंडिका 8 में उक्त कारण आहत को अस्पताल में भर्ती कराकर थाना आने पर लिखा जाना बताया है।

(36) बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 घटना के दूसरे दिन विलंब से दर्ज कराया गया है, जबकि तत्काल रिपोर्ट लिखाए जाने के लिए पर्याप्त समय था, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि घटना झूठी है। प्रार्थी द्वारा आहत के परिवार वाले एवं अपने उच्चाधिकारियों से मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध सोच समझकर मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए बताया गया है कि घटना के पश्चात आहत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ऐसे में यह संभव व स्वभाविक नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले रिपोर्ट दर्ज कराए।

(37) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक समर्थनकारी दस्तावेज होता है, जिसके बिना किसी विलंब के लेखबद्ध कराए जाने से इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि

सामान्यतः घटना की वही रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जो वास्तव में घटित हुयी है, ऐसी स्थिति में किसी को झूठे मामले में फंसाये जाने की संभावना अत्यंत क्षीण रहती है। हालांकि इसका उपयोग खंडन में भी किया जा सकता है । प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत महमूद बनाम राज्य जे.टी. 2007 (13) एम.सी. 68** में अभिमत् दिया गया है कि किसी भी प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई अपराध कारित होता है तो उसका यह विधिक दायित्व है कि वह यथाशीघ्र निकटतम पुलिस थाना में उपस्थित होकर घटना की तिथि, समय व स्थान का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध का संक्षिप्त विवरण होना आवश्यक है साथ ही यदि आरोपी व साक्षी आदि का नाम ज्ञात हो तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए । अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त अनुसार विधि सम्मत तरीके से यथाशीघ्र दर्ज कराई गयी है ?

(38) इस प्रकार प्रकरण में आए साक्ष्य से प्रार्थी की लिखित शिकायत प्रदर्श पी–01 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 दर्ज किया गया है, जिसके अवलोकन से विवेचक के कथनों का समर्थन होता है एवं यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 10/03/2022 की रात्रि लगभग 23.00 बजे हुयी घटना की रिपोर्ट दूसरे

दिन दिनांक 11/03/2022 की शाम लगभग 19.05 बजे आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु एवं उसके एक अन्य साथी के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 किलोमीटर दूर थाना गण्डई में लेखबद्ध किया गया है, जिसमें विलंब का कारण आहत को अस्पताल में भर्ती कराकर थाना आने पर उल्लेख किया है । इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में कोई विलंब होना दर्शित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है ।

(39) प्रथम सूचना पत्र में आरोपीगण की उपस्थिति एवं उनके द्वारा किए गए अपराध का सिलसिलेवार वर्णन है, जिससे अभियोजन के साक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत लखविन्दर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1993 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 719** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत दिया है कि–It also appears to as that the High Court was Justified in holding that in the facts of the case there had not been any inordinate delay in lodging the FIR. As a matter of fact, such FIR had been lodged at a distance of about 10 miles from the place of occurrence at night

within 08 hours and a copy of FIR was also received by Taluka Magistrate, the very next morning.

(40) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने कथन में बताया है कि दौरान विवेचना उसके द्वारा दिनांक 12/03/2023 को घटनास्थल पर जाकर गवाहों के बताए अनुसार मौका नक्शा प्रदर्श पी–03 एवं स्थल पंचनामा प्रदर्श पी–04 तैयार किया गया था तथा दिनांक 21/05/2023 को घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदाय किए जाने बाबत तहसीलदार गण्डई को प्रदर्श पी–13 का ज्ञापन प्रेषित किया गया था, प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) एवं पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने–अपने कथन में उपरोक्त कार्यवाही का समर्थन किया है। पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौका नक्शा प्रदर्श पी–03 एवं प्रदर्श पी–04 पर हस्ताक्षर थाने में किया था। वहीं प्रार्थी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रथम घटना के समय घटनास्थल में वह, साक्षी पन्नालाल एवं नरेन्द्र कहां पर थे नक्शा बनाते समय बताया था, परंतु दूसरी घटना के समय वे कहां खडे थे, नहीं बताया था।

(41) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मौके पर गवाह पन्नालाल का कथन लेखबद्ध नहीं किया गया था , क्योंकि मुलाहिजा हेतु सीएचसी गण्डई रवाना किया था । इसी प्रकार आगे बताया है कि प्रदर्श पी–03 का नक्शा तैयार किया था तब वहां पर किसी स्टॉपर को नहीं देखा था, आर टी ओ बेरियर एवं वन विभाग का बेरियर देखा था उसने प्रदर्श पी–03 में यह नहीं दर्शाया था कि आर टी ओ बेरियर से वन विभाग की दूरी कितना है आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–03 में लाल स्याही से जो घटनास्थल दर्शाया है, वह वन विभाग के बेरियर से नजदीक है तथा आसपास के मकान का उल्लेख नहीं किया है, किंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों के मकान का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है ।

(42) बचाव पक्ष की ओर से घटना दिनांक को दो बार घटना कारित होना बताते हुए पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान तैयार किए गए नक्शे में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं आसपास के लोगों की उपस्थिति एवं उनके खडे होने का कोई उल्लेख नहीं किये जाने को लेकर चुनौती दिया गया है । लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के

न्यायदृष्टांत सी0 मुनियप्पन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू ए0 आई0 आर0 2010 सुप्रीम कोर्ट 3718 के पैरा–44 के अनुसार विवेचना में की गई त्रुटि का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है –**44.** There may be 'highly' defective investigation in a case. However, it is to be examined as to whether there is any lapse by the I.O. and whether due to such lapse any benefit should be given to the accused. The law on this issue is well settled that the defect in the investigation by itself cannot be a ground for acquittal. If primacy is given to such designed or negligent investigations or to the omissions or lapses by perfunctory investigation, the faith and confidence of the people in the criminal justice administration would be eroded. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omissions, etc. which resulted in defective investigation, there is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence de hors such lapses, carefully, to find out whether the said evidence is

reliable or not and to what extent it is reliable and as to whether such lapses affected the object of finding out the truth. Therefore, the investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial. The conclusion of the trial in the case cannot be allowed to depend solely on the probity of investigation.

(43) प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम नर्मदा से ग्राम मोहागांव एवं साल्हेवारा जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग में आर टी ओ परिवहन चेक पोस्ट नाका छोटा मानपुर स्थित है, जहां मुख्य सड़क पर घटना कारित होना बताया गया है, घटनास्थल ए एवं वन विभाग का बेरियर डी, आर टी ओ विभाग का बेरियर सी से चिन्हांकित किया गया है वहीं पास में विश्वकर्मा का बंद मकान दर्शाया गया है, जिसका बचाव पक्ष द्वारा कोई सारभूत खंडन नहीं किया जा सका है, जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त घटनास्थल लोक स्थल है, जिससे घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट होती है। उपरोक्तानुसार बचाव पक्ष के तर्क मान्य नहीं किया जा सकता।

(44) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने कथन में आगे बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक

12/03/2023 को आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु को वाहन बोलेरो क्रमांक CG 10 F 6921 मय कागजात पेश करने के लिए धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्रदर्श पी–14 दिया गया था, उपरांत आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के पेश करने पर एक बोलेरो वाहन सिल्वर कलर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG 10 F 6921 को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी –06 तैयार किया था । साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) एवं नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है ।

(45) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने कथन में आगे बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 12/03/2023 को अपराध सबूत पाए जाने पर गवाहों के समक्ष आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु एवं आरोपी केवल साहू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी–07 एवं प्रदर्श पी–08 तैयार करते हुए आरोपीगण के गिरफतारी की सूचना उनके परिजनों को प्रदर्श पी–15 एवं प्रदर्श पी–16 के अनुसार दिया गया था । विवेचक ने अपने कथन में बताया है कि दौरान विवेचना उसके द्वारा प्रकरण में आहत चिरजिवेन्द्र नेताम के नियुक्ति आदेश, घटना दिनांक का ड्यूटी रजिस्टर पेश करने बाबत ज्ञापन क्रमांक 471/23 परिवहन अधिकारी परिवहन चेकपोस्ट मानपुर नाका को प्रदर्श पी–17 प्रेषित किया गया था ।

(46) विवेचक निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में बताया है कि दौरान विवेचना उसके द्वारा प्रकरण में दिनांक 15/04/2023 को पारथ राम के प्रस्तुत करने पर साक्षियो के समक्ष एक ड्यूटी रजिस्टर जिसमें दैनिक उपस्थिति दर्ज किया जाता है माह सितम्बर 2022 से अप्रैल 2023 तक कर्मचारियो का उपस्थिति दर्ज है, आहत चिरजिवेन्द्र नेताम का अंतिम उपस्थिति दिनांक 10 मार्च 2023 तक दर्ज है को तथा उक्त दिनांक को चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम का मृत्यु संबंधी पत्र की छायाप्रति मुताबिक जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–05 के अनुसार जप्त किया गया था, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) एवं साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है जिसका बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया जा सका है। प्रकरण में प्रस्तुत नियुक्ति आदेश, ड्यूटी रजिस्टर के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम परिवहन विभाग परिवहन चेक पोस्ट छोटा मानपुर में सुरक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ था।

(47) निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 26/05/2023 को आहत चिरजिवेन्द्र नेताम की पत्नि श्रीमती बिंदु नेताम को धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी–28 एवं अन्य

गवाहों को धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–29, 30 एवं 31 दिया गया था, उपरांत उसने गवाह चोवाराम पटेल, पन्नालाल मेरावी, नरेन्द्र कुमार धुर्वे, श्रीमती बिंदु नेताम, मदन नेताम, चन्द्रशेखर मेरावी, डॉ. मनीष जंघेल का कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था । विवेचक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रार्थी पारथ राम साहू का कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया था । इसी प्रकार विवेचक निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने कथन में आगे बताया है कि उसने प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी –33 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है । इस प्रकार विवेचकगण ने अपने अपने कथन में अपने द्वारा की गयी विवेचना कार्यवाही को प्रमाणित किया है ।

(48) प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि आरोपीगण के विरूद्ध साक्षियों के द्वारा स्पष्टतः घटना के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, वहीं उनके कथनों में अत्यधिक विरोधाभास है, इसलिए उन्हें विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । वहीं अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में आरोपित अपराध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य आया है , जिसके आधार पर प्रकरण का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस संबंध में

अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01), नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) एवं पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–05) का साक्ष्य कराया गया है। चूंकि प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, प्रत्यक्ष साक्ष्य को अन्य किसी साक्ष्य से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का अतिसूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

(49) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत बादाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश (2003) 12 SCC 792 का पैरा 16** में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना के संबंध में अभिमत दिया गया है कि–In our view, the High Court has not approached the evidence in the manner it should have done being the first Court of Appeal. The mere fact that the witnesses are consistent in what they say is not a sure guarantee of their truthfulness. The witnesses are subjected to cross–examination to bring out facts which may persuade a Court to hold, that though consistent, their evidence is not acceptable for any other reason. If the

Court comes to the conclusion that the conduct of the witnesses is such that it renders the case of the prosecution doubtful or incredible, or that their presence at the place of occurrence as eye witnesses is suspect, the Court may reject their evidence. That is why it is necessary for the High Court to critically scrutinize the evidence in some detail, it being the final court of fact. We have therefore gone through the entire evidence on record with the assistance of counsel for the parties.

(50) बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हितबद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । जहां तक उक्त तर्क का संबंध है न्यायालय एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों के आधार पर भी दोषसिद्ध कर सकती है यदि साक्षियों का कथन विश्सनीय हो । जैसा की **न्यायदृष्टांत याकूब ईस्माईल भाई विरूद्ध गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2004 सुप्रीम कोर्ट 4209** अवलोकनीय है, जिसकी सुसंगत कंडिका इस प्रकार है–The legal position in respect of the testimony of a solitary eye–witness is well settled in a catena of judgments inasmuch

as this Court has always reminded that in order to pass conviction upon it , such a testimony must be of a nature which inspires the confidence of the Court. While looking in to such evidence this Court has always advocated the Rule of Caution and such corroboration from other evidence and even in the absence of corroboration if testimony of such single eye –witness inspires confidence then conviction can be based solely upon it. In the case on hand, the testimony of the solitary eye – witness stands corroborated by other circumstances and Page No. 30 evidences and more particularly PW –1 whose testimony has been relied upon by both the Courts .

(51) विधि के आलोक में उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है । प्रार्थी/ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण एवं मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम को जानता पहचानता है मृतक सुरक्षाकर्मी के

पद पर परिवहन चेकपोस्ट छोटा मानपुर में पदस्थ था वह भी परिवहन प्रधान आरक्षक के पद पर घटना समय परिवहन चेकपोस्ट छोटा मानपुर में पदस्थ था । घटना दिनांक 10/03/2023 की रात्रि लगभग 11 बजे की है वे लोग ड्यूटी पर थे, तभी ग्राम नर्मदा की ओर से मानपुर के चेक पोस्ट की ओर एक बोलेरो गाडी क्रमांक सी.जी. 10 एफ 6921 आयी और चेक पोस्ट के पास आकर रूकी और गाडी मे बैठे आरोपी ज्वाला फत्ते मां बहन की बुरी–बुरी मादरचोद, बहन चोद, की गालियां दे रहा रहा था एवं चेक पोस्ट का बेरियर उखाड़कर फेक दूंगा कह रह था । अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02), नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है ।

(52) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में आगे बताया है कि आरोपी ज्वाला गाडी से उतारकर मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम और नरेन्द्र कुमार धुर्वे एवं गांव के अन्य व्यक्ति पन्नलाल मेरावी के साथ हाथा पाई, झूमाझटकी, लडाई झगडा करने लगा जिसपर उसने बीच बचाव एवं समझाईश देकर वापस भेज दिया, किंतु जाते जाते आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु बुरी बुरी गंदी अभद्र गाली देते हुए, तुम लोगो को नही छोड़ूंगा देख लूंगा की धमकी दिया था । उपरांत थोडी देर बाद आरोपी ज्वाला फत्ते वापस परिवहन चेक पोस्ट के पास आया और गाडी में बैठे–बैठे ही बुरी–बुरी अभद्र गालिया देने लगा तब चेक पोस्ट में उपस्थित मृतक

चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम और नरेन्द्र कुमार धुर्वे उसको गाली देने से मना किए जिसपर आरोपी अपने बोलेरो गाडी सी जी 10 एफ 6921 को थोडा आगे बढाया पीछे चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम था और दूसरी तरफ नरेन्द्र कुमार धुर्वे खडा था तभी आरोपी पीछे देखकर तेजी से अपनी गाडी को पीछे लाकर चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम को ठोकर मार दिया जिससे चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम भागने की कोशिश किया था, लेकिन भाग नही पाया ।

(53) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में बताया है कि गाडी की ठोकर लगने से चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम के सिर के बल गिरने से उसे सिर, हाथ, पैर, मे चोट आई थी, नाक, कान से खून निकलने लगा था और वह बेहोश हो गया था उपरांत आरोपी गाडी लेकर भाग गया । अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04), तथा मौके पर तत्काल पहुंचने वाला साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया है ।

(54) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में बताया है कि उपरांत वे लोग आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की पत्नि और चाचा को फोन कर चेक पोस्ट में बुलवाये और आहत को उपचार के पहले गण्डई

शासकीय अस्पताल लेकर गये थे जहां उपचार नही होने पर उसकी पत्नि के कहने पर सिंघनपुरी अस्पताल लेकर गये थे । सिंघनपुरी अस्पताल से आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए कवर्धा अस्पताल रेफर कर दिये थे उक्त अस्पताल में आहत को भर्ती कराने के बाद वे लोग वापस आकर थाना गण्डई में रिपोर्ट किये थे । उपचार के दौरान लगभग 20–22 दिन के बाद रायपुर अस्पताल में आहत चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की मृत्यु हो गई । पुलिस वाले उससे पूछताछ कर बयान लिये थे । इस संबंध में उसके द्वारा प्रदर्श पी–01 की लिखित शिकायत पेश किया गया था, जिस पर विवेचक द्वारा प्रदर्श पी–02 का प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया गया था ।

(55) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौका स्थल चेक पोस्ट के आसपास लोगों का मकान एवं दुकान है, अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–01 में यह नहीं लिखाया था कि आरोपी किस ओर से अपनी गाडी लेकर आया और किस ओर भाग गया । अपने प्रतिपरीक्षण में आगे स्वीकार किया है कि चेक पोस्ट में रोजनामचा सान्हा उपलब्ध रहता है, किंतु शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी बडी घटना को रोजनामचा सान्हा में दर्ज नहीं किया था, साक्षी ने स्वतः कहा है कि रोजनामचा सान्हा में घटना का उल्लेख कर आरोपीगण को समझाईश देकर भेज देने वाली बात लिखा गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने

अपने प्रतिपरीक्षण में शासन द्वारा दिए गए रजिस्टर में बेरियर में होने वाली समस्त घटनाओ की कोई एंट्री नही किया जाना बताया है, किंतु मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथा अविश्वसनीय होना नहीं कहा जा सकता ।

(56) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि दूसरी घटना को रोजनामचा सान्हा में दर्ज नहीं किया गया था, किंतु आज वह नहीं बता सकता कि दोनों घटना के संबंध में कितना कितना समय दर्ज किया है । अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में स्वीकार किया है कि उसके उच्चाधिकारियों के आने के बाद ही उसने दूसरे दिन सुबह थाने में घटना की शिकायत दर्ज करायी थी । आगे प्रतिपरीक्षण की कंडिका 25 में इस तथ्य से इंकार किया है कि आहत चिरजिवेन्द्र नेताम घटना दिनांक को चेक पोस्ट से छुट्टी होने के बाद खाना खाने के लिए अपने घर चले गया था तथा घटना दिनांक के बाद वह घटना दिनांक को खाना खाने के बाद फारेस्ट नाका छोटा मानपुर में बैठा था ।

(57) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को मृतक फारेस्ट नाका से शराब के नशे में लगभग रात 12.00 बजे आपस जा रहा था तब नर्मदा मोहगांव रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था मृतक को घटना के

बाद उनके नाका पर जाकर उनके नाके वाले कमरे में जंहा वह बैठता है वंहा पर रखे थे हालांकि इस साक्षी ने आरोपी द्वारा पीछे लाने एवं आहत के द्वारा भागने की कोशिश किए जाने वाली बात लिखित शिकायत प्रदर्श पी–01 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी–01 में नहीं बताया जाना आज न्यायालय में पहली बार बता रहा है बताया है । अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 में भी इस तथ्य से इंकार किया है कि आहत शराब के नशे में मोटर सायकल को चलाते हुए किसी अज्ञात वाहन से टकराया था, जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी । विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में उक्त बात से इंकार किया है ।

(58) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 33 में इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी किराये से अपना वाहन चलाता है, इस बात को लेकर उसके वाहन की एंट्री को लेकर अवैध राशि की वसूली के संबंध में उनका विवाद हुआ था तब इस बात को लेकर उनके मध्य रंजिश की स्थिति थी इस तथ्य से भी इंकार किया है कि इसी रंजिश के तहत आरोपी को फंसाने की नियत से आहत को किसी वाहन से दुर्घटना में चोट आने पर आरोपीगण के विरूद्ध सोच समझकर एवं दुर्घटना के पश्चात विभाग से अतिरिक्त सुविधा पाने के

लालच में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त तथ्यों से इंकार किया है ।

(59) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 41 में स्वीकार किया है कि जब पुलिस जांच में घटनास्थल पर आयी थी तो वह पुलिस को यह नहीं बता पाया था कि घटना करने वाले ने अपने वाहन कितनी दूरी एवं कहां तक रिवर्स चलाते हुए ले गया था, किंतु यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि वह अपने बयान में हूबहू घटना का वर्णन करें । आगे कंडिका 44 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त घटना के समय उसने अथवा उसके अधीनस्थ नाके के कर्मचारी ने घटना करने वाले वाहन को नाके का बेरियर नीचे गिराकर रोकने का प्रयास नहीं किया था, किंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुयी थी और प्रश्नगत वाहन वहां पर नहीं था इसलिए बेरियर गिराकर वाहन को रोकने का प्रयास नहीं किया गया था । इस प्रकार इस साक्षी ने भी उपरोक्त तथ्यों का खंडन कर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित किया है ।

(60) प्रार्थी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथ राम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 54, 55 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्पष्टतः इंकार

किया है कि आरोपीगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया गया है तथा आगे इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ज्वाला द्वारा अपने प्राईवेट वाहन को यात्री वाहन के रूप में उपयोग किये जाने के कारण कर्मचारियो द्वारा उससे एंट्री के रूप में अवैध राशि की मांग की जाती थी किंतु उक्त कथित घटना के एक माह पूर्व आरोपी ज्वाला से उक्त एंट्री की राशि को लेकर हुये विवाद तथा आरोपी ज्वाला द्वारा ऐसी एंट्री लेने के संबंध में उच्चाधिकारी को शिकायत करने की धमकी के कारण बेरियर वाले उक्त आरोपी ज्वाला से रंजिश रखते थे इसी कारण अन्य स्थल पर अज्ञात वाहन पर मृतक चिरजिवेन्द्र को टक्कर मार देने पर झूठे तौर पर आरोपी ज्वाला के वाहन से दुर्घटना कारित करना दर्शाते हुए यह झूठा मामला आरोपीगण के विरूद्ध बना दिया गया । इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए आरोपीगण के द्वारा घटना कारित कर आहत को जानबूझकर पीछे से ठोकर मारकर संघातिक चोटे कारित किया जाना बताया है । वहीं इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय होना प्रकट होता है ।

(61) घटना के तत्काल पश्चात पहुंचने वाले साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने कथन में बताया है कि मृतक मानपुर आर टी ओ बेरियर में काम करता था इसलिए उसे जानता है । वह फारेस्ट बेरियर मानपुर नाका में डेली विजेस के रूप मे काम करता है । आर टी ओ और फारेस्ट नाका आस पास लगा हुआ है । लगभग एक साल पहले रात्रि के 10 से 11 बजे के बीच की घटना है वह अपने

फारेस्ट बेरियर में खाना बना रहा था तभी ठोकने की आवाज सुनकर बाहर बेरियर की तरफ आया तब आर टी ओ बेरियर वाले साहब के चिल्लाने पर वह पानी लेकर गया था तो देखा कि बेरियर में काम करने वाला युवक जमीन में गिरा हुआ है जिसे आर टी ओ वाले साहब पानी लेकर पिलाये थे इस दौरान आहत के सिर में पीछे में चोट आई थी, उसे आर टी ओ साहब ने बताया था कि आहत को बोलेरो गाडी वाले ने ठोक दिया और वहां से भाग गया है, इस दौरान आहत बातचीत भी कर रहा था उसके बाद आर टी ओ वाले आहत को अपनी गाडी में लेकर अस्पताल चले गये वह भी वापस अपने बेरियर खाना खाने चले गया था बाद में उसे पता चला कि आहत की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई है ।

(62) साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि दुर्घटना की आवाज इतनी तेज थी कि उसे चौथे कमरे में सुनाई दी थी, उक्त दुर्घटना वाला स्थल उनके फारेस्ट नाका और आर टी ओ बेरियर के बीच का था उस समय पता चला था कि मृतक को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दिया है । मृतक उस समय होश मे था और बातचीत कर रहा था । हालांकि घटना के बाद इस साक्षी ने पुलिस को बयान नहीं दिया जाना बताया है, किंतु मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथा अविश्वसनीय नहीं हो जाता है । साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में

स्पष्टतः प्रमाणित किया है कि ठोकर लगने के पश्चात वह मौके पर गया था जहां आहत पड़ा हुआ था उसके सिर में गंभीर चोट आयी थी उसे मौके पर आर टी ओ वाले बताए थे कि वाहन वाला पीछे से ठोकर मारकर भाग गया है, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसने आर टी ओ बेरियर पर कोई गाली गलौच वाद विवाद होते नही सुना था और न ही देखा था। आगे स्वीकार किया है कि उसे फारेस्ट बेरियर एवं आर टी ओ बेरियर के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने घटना दिनांक को कोई मारपीट की घटना होने एवं गाली गलौच वाद विवाद होने के संबंध कोई बात नही बताई थी।

(63) साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति घटना स्थल पर आहत पडा था उसके लिये आर टी ओ अधिकारी के चिल्लाने पर वह पानी लेकर गया तब आहत बताया था कि कोई वाहन उसे दुर्घटना कारित कर भाग गया है तथा अज्ञात वाहन के दुर्घटना से ही उस आहत व्यक्ति को चोट आई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में आगे स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर आर टी ओ अधिकारी, आहत एवं स्वयं था इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा भी सुझाव लिया गया है कि अज्ञात वाहन आहत को ठोकर मारकर भाग गया था, किंतु प्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट किया है कि उक्त वाहन का चालक आरोपी ज्वाला व उसके साथी है, जिसने उपरोक्त अपराध कारित किया है।

(64) अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने कथन में अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 10/03/2023 की रात्रि खाना खाकर टहलते हुए नाका के पास गया था तभी रात्रि 10.30–11 बजे के आस पास नर्मदा के तरफ से गाडी बोलेरो क्रमांक सी जी 10 एफ 6921 आयी और बेरियर के पास आकर बोलेरो गाडी का चालक ज्वाला प्रसाद यदु वहां पर उपस्थित लोगो को मादरचोद, बहनचोद, भोसड़ीवाले की अभद्र गंदी गंदी गाली गलौच करने लगा और बेरियर को उखाड़कर फेक देने की धमकी देकर परिवहन कर्मियो और उसके साथ झूमा झटकी करने लगा।

(65) उपरोक्त तथ्यों का समर्थन मेडिकल ऑफिसर डॉ. चंद्रकांत उर्वसा (अ.सा.क्रं.–08) ने अपने कथन में करते हुए बताया है कि दिनांक 13/03/2023 को दोपहर 12.05 मिंनट को आरक्षक मनोज बजारे क्रमांक 1394 थाना गण्डई द्वारा आहत पन्नालाल मेरावी पिता मंगलसिंह मेरावी,उम्र 20 वर्ष निवासी मानपुर थाना गण्डई को मुलाहिजा हेतु उसके समक्ष लाया गया था जांच करने पर उसने पाया कि आहत के दांये हाथ पर 1 X 0.2 सेंटीमीटर का एक खरोच था साथ ही साथ गले के पीछे दर्द हो रहा था, उसके अभिमतानुसार आहत को आयी चोट सामान्य थी, उक्त चोट 24 से 48 घंटे के अंदर होना पाया था उक्त चोटे कठोर या भोथरे हथियार से

आई थी इस संबंध में उसके द्वारा दिया गया परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । इस प्रकार मेडिकल ऑफिसर ने आहत पन्नालाल मेरावी को सामान्य उपहति कारित होना प्रमाणित किया है ।

(66) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8, 10 में इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि आरोपी ज्वाला प्रसाद बेरियर के पास आकर किस कारण से गाली गलौच शुरू किया था तथा घटना के एक माह पहले आरोपी ज्वाला प्रसाद की घटना स्थल के नाके वालो से वाहन की एंट्री फिस को लेकर विवाद हुआ था आगे इस बात को गलत होना कहा है कि घटना दिनांक 10/03/2023 को रात 10.30–11 बजे के बीच बेरियर के कर्मियो एवं उससे आरोपियो ने किसी तरह से वाद विवाद नही किया था । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में भी इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने पुलिस को अपना कथन देते समय यह नही बताया था कि आरोपी ज्वाला प्रसाद उक्त बोलेरो वाहन का स्वामी है दोनो बार की घटना बोलेरो वाहन किस ओर से आया और किस ओर गया इस बारे में उसने पुलिस को अपना बयान देते समय नही बताया था किंतु आगे इस तथ्य से इंकार किया है कि इसीलिए उक्त वाहन के किस ओर जाने की बात नही बताया था क्योकि वह घटना स्थल पर था ही नही ।

(67) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 13 में इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक समय को चिरजिवेन्द्र नेताम ड्यूटी पर नही था और वह छुट्टी के बाद खाना खाकर फारेस्ट नाका में बैठा था तथा फारेस्ट नाका से अपने घर जाते समय चिरजिवेन्द्र को किसी अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई जिससे उसे चोटे आई थी । आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 19 में स्वीकार किया है कि घटना के दौरान किसी ने भी घटना स्थल का नाका (बेरियर) को बंद नही किया था । उसने पुलिस को अपना बयान देते समय घटना स्थल से उसकी दूरी के बारे में नही बताया था । प्रतिपरीक्षण में आगे स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उसका डाक्टरी मुलाहिजा घटना के 3 दिन बाद कराया था स्वतः कहा 2 दिन बाद कराया था ।

(68) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने प्रति परीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को आगे इंकार किया है कि घटना दिनांक की कोई चोट उसके शरीर पर नही थी क्योकि वह उस समय घटना स्थल पर उपस्थित नही था । आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 23 में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक के पूर्व आरोपी ज्वाला प्रसाद एवं केवल से उसकी कोई जान पहचान एवं दोस्ती नही थी आगे अस्वीकार किया है कि वे लोग पैसा वसूली करते थे तथा आहत चिरजिवेन्द्र

मोटर सायकल से रोड क्रास कर रहा था तभी किसी अज्ञात ट्रक ने उसे ठोकर मार दिया था। आगे अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ज्वाला से घटना दिनांक के पूर्व बेरियर में वसूली के संबंध में वाद विवाद हुआ था उसके वाहन का नंबर मालूम था इसलिए उसके खिलाफ थाना गण्डई में झूठी रिपोर्ट किये थे। इस प्रकार यह साक्षी बचाव पक्ष के द्वारा सुझाये गये समस्त तथ्यों को इंकार करते हुए अपने कथन पर अडिक रहा है कि घटनास्थल पर वह उपस्थित था एवं मौके पर उसके समक्ष आरोपी ज्वाला एवं केवल साहू के द्वारा अपने वाहन से जानबूझकर ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया।

(69) अभियोजन के महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने भी अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए विवेचनाधिकारी द्वारा उसके समक्ष किए गए विवेचना कार्यवाही को प्रमाणित किया है। वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बेरियर के आस पास काफी लोगो के घर, फारेस्ट नाका और सामने में मजार है, मजार में उसकी देखरेख करने वाले और उनके परिवार वाले रहते है किंतु उक्त घटना को सुनने के बाद भी कोई नही आया था, किंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि ऐसी कोई घटना नही हुई थी इसलिए कोई उक्त घटना को देखने सुनने नही आया था तथा घटना के समय गांव का पन्नालाल उपस्थित नही था, किंतु प्रकरण में साक्षी पन्नालाल ने स्पष्ट किया है कि वह मौके पर उपस्थित था।

(70) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 11 में इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने पुलिस को अपना बयान देते समय यह बता दिया था कि आरोपी का वाहन दोनो बार आर टी ओ बेरियर में किस ओर से आया था और किस ओर गया था । यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में न लिखा होगा तो कारण नही बता सकता । आगे कण्डिका 13 में स्वीकार किया है कि चिरजिवेन्द्र को फारेस्ट नाका और उनके नाका के बीच वाले स्थान पर वाहन से टक्कर लगी थी किंतु इस बात को गलत होना कहा है कि उक्त टक्कर मारने वाले वाहन को कोई देख नही पाया था आगे इस तथ्य से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को वह घटना स्थल पर नही था आगे कण्डिका 15 में इस बात को गलत होना कहा है कि चिरजिवेन्द्र को अज्ञात वाहन से टक्कर लगी थी तब घटना स्थल पर पहुंचने वाला पारथ राम और चोवाराम थे उसके अलावा वहां और कोई नही था ।

(71) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि अज्ञात वाहन से आहत को चोटें आयी थी, आहत के परिवारवालों को शासन से लाभ दिलाने के लिए आरोपीगण को झूठा फंसाया गया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि मृतक चिरजिवेन्द्र होश में था और

वह बार बार यह बता रहा था कि अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारा है । इस प्रकार इस साक्षी के कथन भी विश्वसनीय प्रकृति का होना पाया जाता है, जिसने अपने कथन में मौके पर उपस्थित होना एवं आरोपीगण द्वारा दो बार घटना कारित किया जाना बताया है, जिसके परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु कारित हुयी थी ।

(72) मृतक की पत्नि बिंदु नेताम (अ.सा.क्रं.–06) ने अपने कथन में बतायी है कि वह आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु एवं आरोपी केवल साहू को पहचानती है । मृतक चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम उसका पति था दिनांक 10/03/2023 रात्रि लगभग 10.30–11 बजे गांव का पन्नालाल उसे बुलाने के लिए घर आया और बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, उपरांत उसके पति को उपचार हेतु अस्तपाल ले जाया गया था । पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित कर्मचारी पारथ साहू, नरेन्द्र धुर्वे ने बताया कि आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु और केवल साहू बोलेरो वाहन से बेरियर में आये थे और उसे मां बहन की गाली गलौच कर चले गये, किंतु अचानक उनके द्वारा अपने वाहन को रिवर्स कर पीछे से उसके पति को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिये, जिससे वे गिर गये एवं उन्हें चोटे आई थी ।

(73) मृतक की पत्नि बिंदु नेताम (अ.सा.क्रं.–06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे घटना के बाद पन्नालाल ने बताया था कि फारेस्ट नाका से

घर वापस आते समय उसके पति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया था जिससे उसके पति को चोट आई थी तथा उसने अस्पताल के डॉक्टरों को भी यह जानकारी दे दी थी कि घटना दिनांक को उसके पति को किसी अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे उन्हें गंभीर चोटे आई है । आगे अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर टी ओ में उसके पति के सर्विस के दौरान कार्य स्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने से उसके पति के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और क्षतिराशि प्राप्त होती , जिसके लिए उसने आवेदन दिया है तथा आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त लोगो द्वारा उसके परिवार से चर्चा करने के बाद ही घटना की रिपोर्ट लिखाये थे । इस प्रकार इस साक्षी के कथन में आरोपीगण के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं आया है । वहीं इस साक्षी ने आहत पन्नालाल के बताए अनुसार ही घटना बताया जाना बताया है, इसी प्रकार साक्षी मदन नेताम (अ.सा.क्रं.–07) एवं चन्द्रशेखर मेरावी (अ.सा.क्रं.–09) ने भी अपने–अपने कथन में आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं कि या है, चूंकि ये साक्षीगण अनुश्रुत श्रेणी के साक्षीगण है जब घटना को अभियोजन द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के माध्यम से प्रमाणित किया गया हो तब अनुश्रुत श्रेणी के साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किए जाने पर भी कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ता

है । वैसे भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आहत पन्नालाल ने आरोपीगण के द्वारा ही उपरोक्त घटना कारित किया जाना बताया है, जिसे अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथराम साहू एवं नरेन्द्र सहित पन्नालाल मेरावी के द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

(74) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा तर्क किया गया है कि मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम अपने कार्य के दौरान शराब पीया हुआ था जब मोटरसायकल से रोड क्रास कर रहा था तभी किसी अज्ञात ट्रक ने उसे ठोकर मार दिया था जिसके कारण गंभीर उपहति कारित हुयी थी, किंतु अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये शव परीक्षणकर्ता डॉ. सोनाली साहू (अ.सा.क्रं.–18) ने मृतक के शव परीक्षण करने के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है । इसी प्रकार प्रकरण के अन्य साक्षियों ने आरोपीगण के वाहन से ठोकर मारने के परिणामस्वरूप ही दुर्घटना कारित होना बताया है । इस संबंध में अभियोजन द्वारा बताया गया है कि उक्त ठोकर मारने से आरोपी के वाहन बोलेरो का मुलाहिजा कराया गया था ।

(75) उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वाहन का मुलाहिजा करने वाले मैकेनिक रफीक खान (अ.सा.क्रं.–10) ने अपने कथन में बताया है कि वह पिछले 40 वर्षो से मोटर मैकेनिक का कार्य करता है थाना गण्डई पुलिस द्वारा उसे बुलाये जाने पर उसके द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक सी जी 10 एफ 6921 का मैकेनिकल परीक्षण मुलाहिजा

किया गया जिसमें उसने पाया था कि– (I) वाहन चालू हालत में है। (II) वाहन के बांये तरफ बैक लाईट एवं इंडीकेटर टूटा एवं डैमेज है। (III) वाहन के पीछे पैर रखने का पायदान मुड़ा हुआ है। (IV) वाहन के दाहिने तरफ का इंडीकेटर कांच डैमेज है इस संबंध में उसके द्वारा दिया गया वाहन मैकेनिकल मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं उसकी दुकान का सील लगा हुआ है।

(76) वाहन मैकेनिक रफीक खान (अ.सा.क्रं.–10) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वाहन के पार्टस पुराने टूटे अलग व नये टूटे अलग दिखते है तथा उसके द्वारा प्रदर्श पी–12 के क्रमांक 04 का इंडीकेटर कांच डैमेज दर्शाया है वह वाहन के आगे का है, पीछे का है, इसे स्पष्ट नहीं किया है, किंतु आगे इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी–12 की रिपोर्ट पुलिस के बताए अनुसार तैयार किया है। आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे पुलिस ने मुलाहिजा करने के लिए कोई लिखित में नोटिस नही दिया था, आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–12 में मुलाहिजा करने वाले वाहन का चेसिस नंबर व इंजन नंबर का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों में थोड़ा बहुत विरोधाभास है, किंतु मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(77) वहीं अभियोजन का यह कथानक है कि आरोपी द्वारा जानबूझकर पीछे से रिवर्स कर आहत को गंभीर उपहति कारित किया गया है, इस संबंध में साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 2 (iii) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि वाहन के पीछे पैर रखने का पायदान मुड़ा हुआ था, बचाव पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि उक्त वाहन अपराध में सम्मिलित नहीं था तो उसका पैरदान कैसे मुडा, इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण के वाहन से ही दुर्घटनाकारित किया गया है।

(78) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी पारथराम का कथन लेखबद्ध किया गया था, शेष साक्षियों का कथन नगर निरीक्षक अनिल शर्मा के द्वारा लिया गया था, आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में पन्नालाल के उसी समय कथन नहीं लेने के संबंध में वह कोई कारण नहीं बता सकता। उसने प्रार्थी पारथराम का कथन मानपुर नाका में लिया था उस समय इस प्रकरण से संबंधित अपराध क्रमांक की जानकारी उसे हो गयी थी। उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी–01 में यह लेख नहीं किया है कि प्रदर्श डी –01 का कथन किस अपराध क्रमांक के किस धारा, कहां और कितने समय लिए गए है।

(79) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने साक्षी पारथराम से बयान लेते समय यह नहीं पूछा था कि आरोपी गाडी लेकर किस दिशा की ओर चले गया तथा आरोपी वाहन लेकर जब चले गया और उसके बाद दूसरी घटना करके चले गया उस समय वह किस दिशा से आया था और किस दिशा की ओर गया। उसने साक्षी से यह नहीं पूछा था कि इस प्रकरण में उल्लेखित दो घटना में से पहली घटना किस कारण से हुयी थी तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तव में घटनास्थल पर पहली घटना घटी ही नहीं थी, बल्कि उसके एक माह पूर्व चूंकि आरोपी ज्वाला अपने प्राईवेट वाहन को सवारी में चलाता था इस कारण उक्त आर टी ओ बेरियर वालों ने अवैध राशि की मांग की थी इस बात को लेकर आरोपी ने आपत्ति जताई थी एवं उच्चाधिकारियों से शिकायत करने बोला था, किंतु उपरोक्त तथ्यों को प्रार्थी पारथराम साहू द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में सिरे से खारिज कर दिया गया है।

(80) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्षियों ने जिसे घटनास्थल बताया था, वहां दुर्घटना के कोई चिन्ह नहीं पाया गया था उसने घटनास्थल पर किसी दुर्घटनाकारित वाहन के कोई टूट फूट का सामान नहीं पाया था जिस पर अभियोजन ने

अपने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट किया है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को रिवर्स कर पीछे से आहत को ठोकर मारा गया है, ऐसे में दुर्घटनास्थल पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देना अतिश्योक्तिपूर्ण होना नहीं कहा जा सकता जबकि वाहन के पीछे ठोकर मारने के निशान अवश्य है। विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आर टी ओ बेरियर के रजिस्टर को उसके द्वारा जप्त नहीं किया गया था।

(81) विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 12/03/2023 को घटनास्थल पर उपस्थित होने के बाद उसने वन विभाग के बेरियर में पदस्थ कर्मचारियों से कोई कथन लेखबद्ध नहीं किया, स्वतः कहा कि पूछताछ किया गया था। आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पारथराम साहू परिवहन प्रधान आरक्षक द्वारा दिए गए आवेदन में और उसके आधार पर दर्ज प्रथम सूचना पत्र में आरोपी केवल साहू का नाम का कोई उल्लेख नहीं है प्रार्थी द्वारा बयान दर्ज कराते समय आरोपी केवल का नाम बताया गया उस संबंध में केवल की सहभागिता इस प्रकरण में संबद्ध करने के लिए उसने आरोपी का कोई मेमोरेण्डम कथन दर्ज नहीं किया है।

(82) निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटनास्थल वाले आर टी ओ बेरियर में घटना एवं अन्य जानकारी

दर्ज करने वाले रजिस्टर को जप्त नहीं किया था आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने उक्त आर टी ओ चेक पोस्ट छोटा मानपुर के प्रभारी से यह जानकारी प्राप्त नही किया था कि उसने कब अपने उच्चाधिकारी को किस माध्यम से घटना की सूचना दिया था उसने पारथ राम साहू के उच्चाधिकारी से उक्त घटना के सूचना के संबंध में कोई पूछताछ नही किया था । आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्षी नरेन्द्र कुमार से उसकी ड्यूटी 10 बजे के उपरांत समाप्त हो जाने के बाद भी वह घटना स्थल में क्या कर रहा था उसने नही पूछा था, स्वतः कहा उक्त कर्मचारी मानपुर नाका का ही रहने वाला है इसलिए ड्यूटी उपरांत भी उसकी उपस्थिति सामान्य दिनचर्या का हिस्सा है ।

(83) निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्षी नरेन्द्र कुमार एवं पन्नालाल ने अपना कथन देते समय यह नही बताया था कि वे आर टी ओ चेक पोस्ट के किस स्थान पर घटना देखे व सुने है, स्वतः कहा साक्षी ने अपने कथन में बताये है कि दोनो घटना के दौरान घटना स्थल पर उपस्थित थे । आगे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना स्थल के आस पास रामबाई, गीता लोहारिन और नेताम का मकान है उसने उपरोक्त लोगो से पूछताछ नही किया है । उसने घटना के बीच थोडी देर बाद का वास्तविक समय जानने के लिए

साक्षियों से कोई पूछताछ नही किया था । आगे अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने साक्षियो का कथन अपने मन से लेखबद्ध कर दिया था उसे विवेचना के दौरान इस बात की जानकारी हो गई थी कि कथित घटना से एक माह पूर्व आरोपी ज्वाला जो कि अपना प्राईवेट वाहन किराये से चलाता है कि एंट्री फीस के नाम से आर टी ओ प्रभारी एवं उनके कर्मचारियो से विवाद हुआ था उस समय आरोपी ज्वाला ने आर टी ओ बेरियर के कर्मचारियो एवं अधिकारियो की शिकायत उच्चाधिकारियो से करने के लिए कहा था जिस कारण आर टी ओ बेरियर के अधिकारी कर्मचारी नाराज थे तथा रंजिशवश अज्ञात वाहन से चिरजिवेन्द्र को ठोकर लगी तब झूठे साक्ष्य गढ़कर आर टी ओ बेरियर मानपुर नाका के अधिकारी एवं कर्मचारियो ने आरोपीगण के विरूद्ध झूठी शिकायत की थी । इस प्रकार विवेचकगण के द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही को साक्षियों ने अपने साक्ष्य के दौरान प्रमाणित किया है, किंतु उनके प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों को देखें तो उनके द्वारा विवेचना के दौरान की गयी कुछ छूट मूट की त्रुटियां कारित की गयी है, किंतु उक्त गलतिया या त्रुटियां ऐसे नहीं है, जिससे अभियोजन कथा पर ही विश्वास न किया जा सके या उसे मनगढंत बनाया जाना दर्शित हो ।

(84) **न्यायदृष्टांत काले बाबू विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008(4) M.P.H.T. 397** में भी माननीय न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है

कि अन्य साक्षीगण के पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता । एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिए । हालांकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है । प्रकरण में पुलिस विवेचना में यद्यपि कुछ कमियां अवश्य है, किंतु वे ऐसी नहीं है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाए, वहीं प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति भी दर्शित नहीं हो रही है, जिससे यह प्रकट हो कि विवेचक द्वारा बिना किसी आधार के आरोपी को झूठे मामलों में संलिप्त किया जा रहा है ।

(85) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत गिरजा प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (2007) 7 SCC 625 एवं परमजीत सिंह एवं राज्य (देहली एडमिनिस्ट्रेशन) (2003) 5 SCC 229** में अवधारित किया गया है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को भी उसी प्रकार ग्रहण किया जाना चाहिए जिस तरह से अन्य साक्षियों के साक्ष्य को ग्रहण किया जाता है, ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा समर्थन नहीं किए जाने पर उसके साक्ष्य को पूर्णतः अमान्य कर दिया जाए, पुलिस साक्षी भी एक सक्षम

साक्षी है । यदि उसके साक्ष्य अन्यथा किसी प्रकार से दुर्बलता से ग्रसित न हो तो ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना चाहिए ।

(86) बचाव पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में विवेचक सहायक उपनिरीक्षक नारायण लाल सिन्हा (अ.सा.क्रं.–11) एवं निरीक्षक अनिल शर्मा (अ.सा.क्रं.–16) के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि उनके द्वारा विवेचना के दौरान बचाव पक्ष के सुझाव के अनुरूप अनेक त्रुटियां या लोप कारित किया गया है, किंतु **न्यायदृष्टांत व्ही.के. मिश्रा व अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तराखंड व अन्य AIR 2015 SCW 4443** में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी से यह प्रत्याशा नहीं किया जा सकता कि वह सभी संभावित प्रतिरक्षाओं के संबंध में पूर्वानुमान कर अनुसंधान करें, उपरोक्त न्यायदृष्टांत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुसंधान के किसी त्रुटि को प्रत्येक प्रकरण में आरोपी के पक्ष में नहीं लिया जा सकता है ।

(87) **माननीय न्यायदृष्टांत त्रिमुख्य मारोती किरकन विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 SCC 681** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि विधि अभियोजन पर ऐसा साक्ष्य पेश करने का दायित्व नहीं डालती जो पेश करना असंभव हो, अतः धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों में आरोपी पर प्रमाण भार होता है कि वह अन्यथा स्थिति प्रमाणित करें । इसी प्रकार माननीय

न्यायदृष्टांत ''राजस्थान राज्य विरूद्ध ठाकुर सिंग क्रिमिनल अपील नंबर 357/2005 निर्णय दिनांक 30/06/2014 " की कंडिका 22 भी अवलोकनीय है– "The law, therefore, is quite well settled that the burden of proving the guilt of an accused in on the prosecution, but there may be certain facts pertaining to a crime that can be known only to the accused, or are virtually impossible for the prosecution to prove. These facts need to be explained by the accused and if he does not do so, then it is a strong circumstance pointing to his guilt based on those facts."

(88) उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य से यह सुस्थापित है कि इस प्रकृति के मामलों में आरोपीगण पर यह प्रमाण भार होता है कि वह अन्यथा स्थिति प्रमाणित करें। बचाव के दृष्टिकोण से इस घटना का एक समानान्तर स्पष्टीकरण आरोपीगण की ओर से दिया जाना आवश्यक था कि वे घटना के समय उपस्थित नहीं थे ? परंतु आरोपीगण की ओर से स्वयं को निर्दोष होने के अभिवाक् के अलावा यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें रंजिशवश झूठा फंसाया गया है, किंतु इस संबंध में बचाव

पक्ष द्वारा घटना के पूर्व हुयी ऐसी कोई शिकायत या परिवाद पेश किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे रंजिश की स्थिति नहीं मानी जा सकती ।

(89) प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रार्थी पारथराम साहू (अ.सा.क्रं.–01), पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02), नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) एवं घटना के तत्काल पहुंचने वाला साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने अपने कथन में अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए घटना दिनांक की रात्रि आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया है, उपरोक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध कारित किए जाने को लेकर एक ठोस उपधारणा दर्शित होता है । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन का मामला संदेह से परे विश्वास किए जाने योग्य है । इस संबंध में **न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ एच.पी. विरूद्ध जीत सिंग (1999) 4 SCC 370, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरूद्ध भारत फकीरा धीवर AIR 2010 SC 16 तथा चंद्रकुमार कनकेरिया विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी 2006(3) MPHT 224 DB** अवलोकनीय है ।

(90) प्रकरण में जो स्थिति है, उसके अनुसार आरोपीगण द्वारा अपने अभियुक्त कथन में घटना से संबंधित तथ्यों के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, उनके द्वारा सामान्य तथ्यों की जानकारी से भी इंकार किया गया है जो घटनास्थल के आसपास के निवासी होने के कारण प्रज्ञावान व्यक्ति को होनी चाहिए । यह सही है कि किसी मामले में अन्वेषण कार्यवाही के दौरान एवं उसके बाद संस्थित न्यायिक कार्यवाही में भी आरोपी के पास मौन रहने का अधिकार मौजूद है और यहां तक कि वे धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण के दौरान भी मौन रहने अथवा मात्र प्रत्याख्यान करने का विकल्प अपना सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास आरोपी के विरूद्ध विपरीत उपधारणा करने का अधिकार उपलब्ध हो जायेगा । **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत फूला सिंग विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (2014) 4 SCC 9 निर्णय दिनांक–03/03/2014** में तत्संबंध में किया गया निम्न अभिनिर्धारण अवलोकनीय है:– Even in the statement under Section 313 Cr.P.C., the appellant answered every question saying “I do not know” or “it is incorrect” but when he was asked as to whether he wanted to say anything else, he answered as under:–

"I am innocent and Prabhat Chand had lodged a false case against him, because he had encroached the land of Shri Vakil Chand as per his demarcation".

We do not find any force in the submission advanced by Shri D.K. Garg that it is the prosecution which has to establish each and every fact and the accused has a right only to maintain silence.

The accused has a duty to furnish an explanation inhis statement under Section 313 Cr.P.C. regarding any incriminating material that has been produced against him. If the accused has been given the freedom to remain silent during the investigation as well as before the court, then the accused may choose to maintain silence or even remain in complete denial when his statement under Section 313 Cr.P.C. is being recorded. However, in such an event, the court would be entitled to draw an inference,

including such adverse inference against the accused as may be permissible in accordance with law.

(**Vide**: Ramnaresh & Ors. v. State of Chhattisgarh, AIR 2012 SC 1357; Munish Mubar v. State of haryana, AIR 2013 SC 912; and Raj Kumar Singh alias Raju @ Batya v. State of Rajasthan, AIR 2013 SC 3150).

(91) इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत – **Neelkumar @ Anil kumar Vs. Hariyana State** 2012–2 **C.C.S.C. 973 S.C**. में यह अभिनिर्धारित किया है कि–''द0प्र0सं0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त कथन करते समय अभियुक्त स्वयं के विरूद्ध साबित अपराध में फंसाये जाने वाली परिस्थिति को स्पष्ट करना अभियुक्त का कर्तव्य है, शांत रहना या ऐसी परिस्थिति के लिये कोई स्पष्टीकरण न देना, उनके विरूद्ध अपराधों को कायम रखने के लिये परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी होती है। सम्यक रूप से साबित उसके प्रगटन कथन पर अपराध में फंसाये जाने वाली सामाग्री की बरामदगी उसके विरूद्ध अत्यधिक सकारात्मक परिस्थिति होती है।''

(92) बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना कारित किए जाने का कोई आशय या हेतुक दर्शित नहीं किया गया है, किंतु यहां स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष साक्ष्य पर है, जिसमें हेतुक का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । वहीं बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में साक्षीगण हितबद्ध एवं रिश्तेदार है, उनके द्वारा शासन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आरोपीगण को झूठे मामले में आलिप्त किया गया है ।

(93) इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत राम अनूप सिंह बनाम बिहार राज्य–(2002) 6 एस.सी.सी. 686** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–**''जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय हो, वहां इसे मात्र इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा** सकता कि उनका साक्ष्य एक हितबद्ध और पक्षपातपूर्ण साक्ष्य है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के नातेदार है । सामान्यतया मृतक के निकट के नातेदारों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने नातेदार की हत्या की घटना में किसी व्यक्ति को मिथ्या अंतर्वलित करेंगे, जब तक कि ऐसी दलील को स्वीकार करने के लिए अत्यंक प्रबल तर्कपूर्ण कारण न मौजूद हो । साक्षी नातेदार हो सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है या यह विवक्षा

नहीं की जा सकती कि संपूर्ण साक्ष्य को खारिज किया जाए । साक्षी हितबद्ध हो सकते हैं किंतु वास्तविक अपराधियों को अंतर्वलित करने के लिए न कि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या आलिप्त करने के लिए । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने साक्ष्य में अथवा अन्य साक्ष्य द्वारा यह कहीं भी उपदर्शित नहीं किया है कि ये साक्षी अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शत्रुता रखते हैं । ये साक्षी इस बारे में कथन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वाभाविक साक्षी है कि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ था । इन साक्षियों का स्थितीय महत्व घटना के साक्षियों के रूप में अत्यधिक है । अतः हमारे मतानुसार नातेदार एक ऐसा तथ्य नहीं है जो साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करे और यदि अभिलेख से भी यह प्रकट होता हो कि अन्य साक्षी मौजूद थे, किंतु उनसे संपर्क नहीं किया गया और अन्वेषक अधिकारी द्वारा उनका साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया तो भी नातेदारी साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता , जहां सभी परिस्थितियां इतनी प्रबल हो कि निश्चित रूप से उनके विश्वसनीय परिसाक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता हो कि अनिवार्य रूप से अभियुक्त ने ही अपराध किया है जब तक कि वास्तविक हमलावर को बचाने और दूसरे व्यक्ति को मिथ्या अंतर्वलित करने का हेतुक न मौजूद हो । मात्र यह परिस्थिति कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और मृतक आपस में निकट के नातेदार हैं, प्रतिरक्षा पक्ष को कोई फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि यह उनके साक्ष्य के

महत्व को बढ़ा देती है क्योंकि उनका मुख्य ध्येय किसी निर्दोष व्यक्ति के बजाय वास्तविक अपराधी को दंडित कराना होगा ।''

''हितबद्ध'' शब्द से यह अर्थ है कि साक्षी अभियुक्त को किसी भी प्रकार से या किसी शत्रुता अथवा किसी अन्य कारण से दोषसिद्ध कराने में प्रत्यक्षतः हितबद्ध हो । किसी साक्षी को ''हितबद्ध'' तभी कहा जा सकता है, जब उसे मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप कोई फायदा पहुंचता हो, और जब वह अभियुक्त व्यक्ति को दंडित कराने में हितबद्ध हो । किसी साक्षी को जो स्वाभाविक साक्षी है और घटना के समय उसकी उपस्थिति अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा साबित है, एक हितबद्ध साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता, भले ही मृतक से उसकी नातेदारी हो और जिससे उसका यह उद्देश्य दर्शित होता हो कि वास्तविक अपराधी को दंडित किया जाए । न्यायालय को नातेदार साक्षियों के मामले में मात्र यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके साक्ष्य की पूर्ण सतर्कता और सावधानी के साथ जांच और परीक्षा की जानी चाहिए।

(94) इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य–ए0आई0आर0 1953 एस सी सी 364** अवलोकनीय है जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि –''सामान्यतया किसी साक्षी को तब तक स्वतंत्र साक्षी माना जाता है जबकि वह ऐसे स्त्रोतों से प्रभावित न हो कि जिनके की दूषित होने की संभावना है और इससे प्रायः यह अभिप्राय होता है कि जब तक साक्षी

के पास ऐसा कोई कारण न हो, अर्थात अभियुक्त से ऐसी कोई दुश्मनी न हो, तब तक वह उसे मिथ्या रूप से आलिप्त करने की वांछा नहीं करेगा/करेगी । साधारणतया कोई भी निकट का नातेदार वास्तविक अपराधी को छिपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त नहीं करता है । यह सही है कि जब भावनाएं उफान पर हों और शत्रुता का कोई व्यक्तिगत कारण हो तो ही किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को उसमें लपेटा जा सकता है, जिसके विरूद्ध दोषी व्यक्ति के साथ–साथ साक्षी का भी वैमनस्य है, किंतु ऐसी किसी आलोचना का कोई आधार अभिकथित किया जाना चाहिए और केवल नातेदारी का तथ्य जो आधार से परे हो, बहुधा सत्य की निश्चित गारंटी होता है । तथापि, हम इस बाबत कोई व्यापक परिणाम नहीं निकालना चाहते । प्रत्येक मामले को उसके ही तथ्यों के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए । हमारी ये मताभिव्यक्तियां केवल उन बातों का निराकरण करने के लिए की जा रही है जो बहुधा प्रज्ञा के साधारण नियम के रूप में हमारे समक्ष आए मामलों में रखी जाती है । इसके लिए कोई साधारण नियम नहीं है । प्रत्येक मामला उसके स्वयं के तथ्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए और उन्हीं के द्वारा शासित होना चाहिए ।

(95) **माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत पवन कुमार पाण्डेय विरूद्ध स्टेट आफ छ.ग. 2018 (2) CGLJ 99 (DB)** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की

श्रृंखला को स्पष्ट करते हुए अभिमत दिया गया है कि जहां पर कोई मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, वहां पर हेतुक महत्वपूर्ण नही है ।

(96) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार ''किसी अपराध को प्रमाणित किये जाने हेतु साक्षियों की संख्या अपेक्षित नहीं है ।'' स्पष्ट है कि यह साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है । **न्यायदृष्टांत राकेश विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (2011) 9 SCC 698** के अनुसार रिश्तेदार गवाह पर विश्वास किया जा सकता है यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय हो, केवल रिश्तेदारी किसी गवाह को अयोग्य नहीं बनाती हैं लेकिन ऐसे गवाह के साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक छानबीन कर विश्वास करना चाहिये । वहीं **न्यायदृष्टांत गुलाम सरबर विरूद्ध स्टेट आफ बिहार, (2014) 3 SCC 401** में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकरण में गवाहों की संख्या का महत्व नही हैं, किन्तु उनकी गुणवत्ता का महत्व होता है यदि एकमात्र साक्षी का कथन भी विश्वसनीय हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता हैं ।

(97) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत सुदीप सिंह विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (2016) 3 SCC 26** में अवधारित किया गया है कि एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी किया जा सकता है, यदि ऐसा साक्षी का कथन भरोसेमंद व विश्वसनीय प्रकृति का है । माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत मदनमोहन यादव विरूद्ध छ.ग. राज्य ILR 2020 CG 20** भी अवलोकनीय है ।

जिसमें यह अवधारित किया गया है कि –On the Plea of there being no injury found on the private part of any part the body of the prosecutrix, the same would not render prosecutrix case liable to be rejected firstly, because It is settled legal position that where the evidence of the prosecutrix inspires confidence and does not appear to be doubtful, there is no necessity to look for corroboration from any other evidence including medical evidence.

(98) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायदृष्टांत इंदरसिंह विरूद्ध दिल्ली प्रशासन (1978) 4 SCC 370** में अभिनिर्धारित किया है कि समस्त संदेह से परे एक मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, यह कोई आधारभूत तथ्य नहीं है और न ही एक दोषी व्यक्ति को इसलिए छोडा जा सकता है कि सच्चाई ऐसी विसंगतियों से परिपूर्ण थी जो मानव संव्यवहार से उद्भुत हो। **न्यायष्टांत शरदुल सिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य (2002)8 SCC 372** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में– "There cannot be a prosecution case with the cast and perfection in all respects and it is obligatory for the courts to analyses, sift

and assess the evidence on record, with particular reference to its trustworthiness and truthfulness, by a process of dispassionate judicial scrutiny adopting an objective and reasonable appreciation of the same, without being obsessed by air of total suspicion of the case of the prosecution. What is to be insisted upon is not implicit proof."

(99) इसी प्रकार **न्यायदृष्टांत अहिर राजा खीमा विरूद्ध सौराष्ट्र राज्य AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 217** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिकथन है कि–"There are two important factors in every criminal trial that weigh heavily in favour of an accused person; one is that the accused is entitled to the benefit of every reasonable doubt and the other, an off–shoot of the same principle, that when an accused person offers a reasonable explanation of his conduct, then, even though he cannot prove his assertions they should ordinarily be accepted unless the circumstances indicate that they are false."

(100) जहां तक **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–03 व 04,** का प्रश्न है कि आरोपीगण द्वारा लोक स्थल पर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिया गया, इस संबंध में अभियोजन साक्षी प्रार्थी पारथराम साहू (अ.सा.क्रं.–01) ने अपने कथन में आरोपी ज्वाला फत्ते द्वारा बुरी बुरी व अभद्र गालियां देना एवं धमकी दिया जाना बताया है, वहीं साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने कथन में आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु द्वारा वहां पर उपस्थित लोगों को मारदचोद, बहनचोद, भोसडीवाली की गालियां देकर धमकी दिया जाना बताया है। अन्य अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) ने अपने कथन में उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किया है, जिसका बचाव पक्ष द्वारा कोई सारंभूत खंडन नहीं किया जा सका है। **इस प्रकार अभियोजन आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।**

(101) जहां तक **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–05 व 06** का प्रश्न है कि आरोपीगण द्वारा आहत पन्नालाल मेरावी एवं नरेन्द्र कुमार ध्रुव के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आहत पन्नालाल (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने कथन में आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के द्वारा उसके साथ गाली–गलौच कर वाद–विवाद करते हुए झूमा–झटकी किया जाना बताया है, आहत नरेन्द्र कुमार

(अ.सा.क्रं.–04) ने भी आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के द्वारा उसके साथ झूमाझटकी किया जाना बताया है, किंतु उसे किसी प्रकार से चोट उक्त झूमाझटकी से पहुंची थी, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है और विवेचक द्वारा भी उसका कोई मुलाहिजा नहीं कराया है, आहत पन्नालाल का मुलाहिजा करने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉ. चंद्रकांत उर्वसा (अ.सा.क्रं.–08) ने अपने कथन में आहत पन्नालाल का मुलाहिजा परीक्षण कर उसके दांये हाथ में 1 x 0.2 CM का एक खरोंच आना बताते हुए प्रदर्श पी–09 की रिपोर्ट दिया जाना बताया है, जिसका भी बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया जा सका है, जिस कारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय साक्षी के साक्ष्य से आहत पन्नालाल मेरावी को सामान्य प्रकृति की चोटें आकर स्वेच्छया उपहति कारित होना प्रमाणित पाया जाता है । इस प्रकार अभियोजन आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के विरूद्ध आहत पन्नालाल के संबंध में धारा **323 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध को भी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है ।**

(102) प्रकरण में आए साक्ष्य के अनुसार मेडिकल ऑफिसर ने अपने अपने कथन में आहत चिरजिवेन्द्र नेताम के सिर में संघातिक चोटें कारित होना प्रमाणित किया है एवं अपने अभिमत में बताया है कि उक्त चोट वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी थी, हालांकि यह प्रकरण अन्य प्रकरणों से भिन्न है । अभियोजन कथानुसार आरोपीगण द्वारा अपने वाहन से जानबूझकर हत्या करने के आशय से आहत को ठोकर

मारा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आहत चिरजिवेन्द्र नेताम को आयी चोटों के फलस्वरूप उपचार के दौरान उसकी मृत्यु कारित हुयी । वहीं चिकित्सकों ने आहत चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक होना बताया है, किंतु प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अपने कथन के माध्यम से पुष्ट किया है कि आरोपीगण के कृत्य से ही उक्त संघातिक चोटें कारित हुयी थी ।

(103) बचाव पक्ष का तर्क है कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा अपने अपने कथन में मृतक की मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनावश होना बताया है ऐसे में उक्त अपराध को हत्या किया जाना नहीं कहा जा सकता, जिससे अन्य साक्षियों के साक्ष्य का खंडन हो जाता है । उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विशेषज्ञ साक्षी के कथनों से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का पूर्णतः खण्डन हो अर्थात मेडिकल ऐविडोंस इतना मजबूत हो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दें । उपरोक्तानुसार अभिमत ''**माननीय उच्चतम न्यायालय का सेंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन विरूद्ध मोहममद परवेज अब्दुल कय्यूम क्रिमिनल अपील नंबर 140151/2012 निर्णय तिथी 05.07.2019** जिसका सुसंगत पैरा 60. Similarly, in Bastiram v. State of Rajasthan, (2014) 5 SCC 398, it was observed: “

33. The question before us, therefore, is whether the “medical evidence” should be believed or whether the testimony of the eyewitnesses should be preferred? There is no doubt that ocular evidence should be accepted unless it is completely negated by the medical evidence. This principle has more recently been accepted in Gangabhavani v. Rayapati Venkat Reddy , (2013) 15 SCC 298. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आपराधिक विचारण में न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं बैठता कि किसी निर्दोष को सजा न हो अपितु यह देने के लिए भी बैठता है कि कोई दोषी छूट ना जाए। **न्यायदृष्टांत उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध अनिल सिंह AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1998** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में –"A judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent men is punished. A judge also preside to see that the guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties which the judge has to perform."

(104) इस तरह अभियोजन ने घटना के दो भागों के तहत प्रथम भाग के अंतर्गत आरोपीगण एवं मृतक व प्रार्थी के मध्य घटनास्थल पर गाली–गलौच, वाद–विवाद एवं झूमा–झटकी होने के उपरांत कुछ देर बार घटना के द्वितीय भाग में आरोपीगण द्वारा पुनः वाद–विवाद कर हत्या करने की नियत से अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अपने वाहन को जानबूझकर पीछे रिवर्स कर मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम को ठोकर मारकर संघातिक चोटें पहुंचायी, जिसे घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पारथराम साहू (अ.सा.क्रं.–01), पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02), नरेन्द्र कुमार ध्रुव (अ.सा.क्रं.–04) तथा घटना के तत्काल पश्चात पंहुचने वाला साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) ने अपने अपने कथन में प्रमाणित किया है, उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया जा सका है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन ने घटना के दोनों भागों में हुए घटना को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है और धारा 60 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य अपनी आंखों से देखे जा सकने वाले तथ्यों का विवरण होने के कारण सुसंगत एवं ग्राह्य होने की श्रेणी में आता है, जिस कारण आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य आरोपीगण के विरूद्ध ही घटना कारित किए जाने की ठोस उपधारणा निर्मित करती है।

(105) इस स्तर पर यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि इस प्रकरण में घटना के प्रथम भाग में वाद विवाद होने के थोडी देर उपरांत घटना के दूसरे भाग के तहत आरोपीगण द्वारा मृतक को ठोकर मारकर संघातिक चोटें कारित की गयी है । इस तरह आरोपीगण का कृत्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके पश्चातवर्ती आचरण की श्रेणी में आकर सुसंगत हो जाता है, क्योंकि जैसा कि धारा 08 कोई भी तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत होना बताती है । उक्त अनुसार वाद विवाद के बाद आरोपीगण का कुछ समय पश्चात पुनः वापस आकर घटना कारित करना उनके पश्चातवर्ती आचरण के तहत अपराध कारित करने की तैयारी दर्शित करना बताते हुए सुसंगत हो जाता है ।

(106) अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है । उक्त आधार पर आरोपीगण के द्वारा ही मृतक का साशय हत्या कारित किया जाना प्रमाणित हो रहा है । वहीं बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई आधार भी नहीं लिया गया है कि अन्वेषणकर्ता, आरोपीगण से किसी प्रकार का कोई द्वेष रखता था और जिस वजह से उनके द्वारा आरोपीगण को झूठे मामले में आलिप्त किया गया है और न ही प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट हुआ है, जिससे दर्शित हो कि साक्षीगण द्वारा आरोपीगण को झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया गया है । जहां तक आरोपी केवल साहू के संबंध में

आरोपित अपराध में सहभागी आरोपी होने का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्षी पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02) ने अपने कथन में आरोपी केवल साहू की संलिप्तता के संबंध में कथन किया है और बताया है कि थोडी देर बाद आरोपी अपने एक मित्र आरोपी केवल राम साहू के साथ वापस अपने बोलेरो से बेरियर के पास आया जिसका बचाव पक्ष द्वारा कोई खंडन नहीं किया जा सका है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य न होने से मात्र उक्त आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी केवल उक्त् अपराध में संलिप्त नहीं रहा है । प्रकरण में आए साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी ज्वाला के साथ एक अन्य साथी था, वहीं बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी केवल साहू घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, वहीं अपने आरोपी कथन में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह मौके पर नहीं था और न ही बचाव साक्ष्य पेश किया गया है कि वह घटना के समय अन्य जगह मौजूद था । इस प्रकार आरोपी केवल साहू के द्वारा भी आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के साथ मिलकर साशय आरोपित अपराध कारित किया गया है पूर्णतः प्रमाणित होता है ।

(107) **न्यायदृष्टांत गंगाधर बेहरा व अन्य विरूद्ध उड़ीसा राज्य 2003 (1) CGLJ 27** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि

"न्यायालयीन कर्तव्य भूंसे से दाना को अलग करने जैसा है ।" प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् निष्कर्ष है कि अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रार्थी पारथराम साहू (अ.सा.क्रं.–01), पन्नालाल मेरावी (अ.सा.क्रं.–02), साक्षी नरेन्द्र कुमार धुर्वे (अ.सा.क्रं.–04) एवं घटना के तत्काल पहुंचने वाला साक्षी चोवाराम पटेल (अ.सा.क्रं.–03) सहित विवेचक के कथन युक्ति–युक्त संदेह से परे विश्वास किये जाने योग्य है । उपरोक्त समस्त स्थिति आरोपीगण के विरूद्ध उपधारणा को बल प्रदान करता है । इस संबंध में भी आरोपीगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण न देकर मात्र अभियोजन की कमियों को बताने का प्रयत्न किया गया है । निश्चित रूप से आरोपी उपरोक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर या चुप रहकर इस आधार पर नहीं बच सकता कि मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है ।

(108) प्रकरण में जो स्थिति है, उसके अनुसार अभियोजन ने आये साक्ष्य से यह स्पष्टतः प्रमाणित किया है कि आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के द्वारा दिनांक 10/03/2023 की रात्रि लगभग 11.00 बजे स्थान ग्राम छोटा मानपुर परिवहन नाका थाना गण्ड़ई, जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में आरोपी केवल साहू के साथ मिलकर लोक सेवक के लोक कृत्य में बाधा डालने का सामान्य आशय निर्मित किए एवं उसके अग्रसरण में उक्त नाका में ड्यूटी पर रहे सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, चोवाराम पटेल एवं सफाईकर्मी नरेन्द्र कुमार धुर्वे के लोक कृत्य का स्वेच्छया

बाधा उत्पन्न किए तथा आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थी या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करते हुए चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम, नरेन्द्र कुमार को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं पन्नालाल मेरावी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में उन्हें मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आरोपीगण द्वारा चिरजिवेन्द्र कुमार नेताम की हत्या करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में साशय अपने वाहन क्रमांक CG 10 F 6921 को अचानक रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र ठाकुर को ठोकर मारकर उसकी मृत्यु कारित किया ।

(109) प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति दर्शित नहीं हो रही है, जिससे आरोपीगण को निर्दोष होना एवं बिना किसी आधार के झूठा फंसाया जाना दर्शित हो । उपरोक्त संपूर्ण स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी/चक्षुदर्शी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त सन्देह से परे अपराध को प्रमाणित किया है । उपरोक्तानुसार आरोपी **ज्वाला उर्फ फतेह** को आरोपित अपराध धारा 186/34, 294, 506 भाग 2, 323 तथा धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं **आरोपी केवल साहू** को आरोपित अपराध धारा 186/34 तथा धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

का दोषी पाते हुए **दोषसिद्ध** किया जाता है, किंतु **आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु** को आहत नरेन्द्र कुमार धुर्वे के संबंध में आरोपित अपराध **धारा 323** भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित न होने से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा **आरोपी केवल साहू को धारा** 294, 506 भाग 2, 323/34, 323/34 भारतीय दंड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किए जाने से उसे उक्त अपराध की धाराओं से **दोषमुक्त** किया जाता है।

(110) प्रकरण में आरोपीगण को आपराधिक परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने के संबंध में कोई स्थिति नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(कु. मोहनी कंवर)
अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.)

पश्चात

(111) दंड के प्रश्न पर आरोपीगण को उनके विद्धान अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया। उनका तर्क है कि आरोपीगण कम उम्र के युवक होकर अपने–अपने परिवार के एकमात्र कर्ता–धर्ता है। यदि उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जाता है तो उनके परिवार के समक्ष जीवन–यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, उनका भविष्य

बर्बाद हो जायेगा है । आरोपीगण की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है । आरोपी ज्वाला फतेह रिमांड स्तर से आज दिनांक तक एवं आरोपी केवल साहू विचारण के दौरान लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं । उपरोक्तानुसार उन्हें न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

(112) अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि आरोपीगण के द्वारा अपने लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे आहत एवं प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर आहत को पीछे से जानबूझकर ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईलाज के दौरान आहत चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु कारित हुई । इस प्रकार आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो सभ्य समाज की संरचना को दूषित करता है, प्रमाणित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण किसी प्रकार से दया का पात्र नहीं है । उपरोक्तानुसार उन्हें कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

(113) दंड पर विचार किए जाने हेतु आरोपीगण के आपराधिक प्रवृत्ति, हेतुक, अपराध का समाज पर प्रभाव, आरोपीगण की संलिप्तता, समाज की संरचना इत्यादि अनेक बिंदुओं पर विचार किया जाना होता है । अभिलेख में आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व

में किसी अपराध में संलिप्त रहने या दोषसिद्धी होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं है । अर्थात आरोपीगण के विरूद्ध यह प्रथम अपराध होना पाया गया है ।

(114) आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध कारावास और जुर्माने से दण्डनीय है, जिसमें धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास नियम एवं मृत्युदण्ड अपवाद है । प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उपरोक्त कृत्य किया गया है । अभिलेख के अनुसार आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु रिमांड स्तर से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, किंतु आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का होकर समाज के लिए घातक है, ऐसे गंभीर अपराध में आरोपीगण किसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने या दूसरे शब्दों में दण्ड के प्रति नरमी से विचार किये जाने योग्य नहीं है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत बचन सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1980) 2 SCC 684, मच्छी सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1983) 3 SCC 470 एवं अमर सिंह यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ यूपी (2014) 13 SCC 443** में दिए गए अभिमत के परिपेक्ष्य में आरोपीगण का मामला विरल से विरलतम श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं आता है, जिसके कारण आरोपीगण को मृत्यु दंड की सजा दिए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(115) अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों सहित अपराध के स्वरूप एवं गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है–

आरोपी का नाम	दोषसिद्ध धारा	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड रूपये में	व्यतिक्रम
ज्वाला उर्फ फतेह पिता स्व. गजेन्द्र प्रसाद यदु उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, थाना मोहगांव जिला के.सी.जी.(छ.ग.)	186/34 IPC	01 माह का साधारण कारावास	100/–	10 दिन
	294 IPC	01 माह का साधारण कारावास	100/–	10 दिन
	506 भाग 2 IPC	01 वर्ष का साधारण कारावास	300/–	20 दिन
	323 IPC	06 माह का साधारण कारावास	500/–	01 माह
	302/34 IPC	आजीवन सश्रम कारावास	5000/–	02 माह
केवल साहू पिता फिरतू साहू उम्र 25 साल, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, थाना मोहगांव जिला के.सी.जी.(छ.ग.)	186/34 IPC	01 माह का साधारण कारावास	100/–	10 दिन
	302/34 IPC	आजीवन सश्रम कारावास	5000/–	02 माह

(116) आरोपीगण को दी गयी सभी सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावे । आरोपी केवल साहू जमानत पर है, उसे अभिरक्षा में लिया जाता है । आरोपीगण को शेष सजा भुगताए जाने बाबत् उनका जेल वारंट तैयार किया जावे ।

(117) आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु रिमाण्ड स्तर पर गिरफ्तारी दिनांक 12/03/2023 से आज निर्णय दिनांक 24/09/2025 तक कुल 927 दिन तक एवं आरोपी केवल साहू रिमाण्ड स्तर पर गिरफ्तारी दिनांक 12/03/2023 से दिनांक 18/08/2023 तक कुल 159 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। अतः आरोपीगण के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि से संबंधित धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र पृथक से बनाया जावे, जो निर्णय का भाग होगा । आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि दी गई सजा की अवधि में समायोजित किया जावे ।

(118) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बोलेरो क्रमांक सीजी 10 एफ 6921 को मय कागजात सुपुर्दनामा पर है, जिसे सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाता है । अन्य जप्तशुदा संपत्ति अभिलेख का भाग रहेगा । अपील होने पर जप्तशुदा सम्पत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे ।

(119) माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमीनल अपील क्रमांक 862/2016 रामसाय विरूद्ध छ.ग. राज्य में पारित आदेश दिनांक 14/07/2016** के परिपालन में दोषसिद्ध आरोपी गण को निर्णय की एक प्रति जेल अधीक्षक उपजेल खैरागढ़, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि यदि आरोपीगण को तत्कालीन किसी स्थिति के कारण अन्य कारागार में अवशेष सजा भुगतने हेतु भेजा जाता है तो आवश्यक रूप से निर्णय की यह अतिरिक्त सत्य प्रतिलिपि उक्त कारागार के अधीक्षक की ओर सूचनार्थ उनके हित रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये/आशयित किसी अपील हेतु साथ–साथ प्रेषित करेंगे ।

(120) निर्णय की एक –एक प्रति आरोपीगण को धारा 363 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे तथा निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट राजनांदगाँव (छ.ग.) को अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से धारा 365 दंड प्रकिया संहिता के तहत भेजी जावे ।

(121) प्रकरण में आए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक चिरजिवेन्द्र नेताम की पत्नि बिंदु नेताम एवं आहत पन्नालाल मेरावी को उपरोक्त घटना से अपूर्णीय क्षति हुयी है । अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत

धारा 357 A दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार **मृतक की पत्नि बिंदु** नेताम **एवं आहत पन्नालाल मेरावी** को समुचित प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है । अतः निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे ।

(122) माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा **न्यायदृष्टांत आई.एल.आर. 2019 छत्तीसगढ़ 2032 ''छ.ग. राज्य विरूद्ध प्रमोद राम सत्तूराम नगेशिया में** दिए गए निर्देश के परिपेक्ष्य में निर्णय की एक प्रति मृतक की पत्नि, आहत पन्नालाल मेरावी एवं प्रार्थी पारथराम साहू को निःशुल्क सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित गया। | मेरे निर्देश पर टंकित ।

MOHANEE KANWAR
Digitally signed by MOHANEE KANWAR

(कु. मोहनी कंवर)
अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई(छ.ग.)

(कु. मोहनी कंवर)
अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई(छ.ग.)

सत्र प्रकरण क्रमांक–17/2023

"छ.ग. राज्य विरूद्ध ज्वाला उर्फ फतेह व एक अन्य"

थाना गण्डई के अपराध क्रमांक 50/2023

– // सेटऑफ का प्रमाण पत्र //–

धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

क्रमांक	आरोपी का नाम	आरोपी की गिरफतारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि
01.	ज्वाला उर्फ फतेह पिता स्व. गजेन्द्र प्रसाद यदु उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, थाना मोहगांव जिला के.सी.जी.(छ.ग.)	12/03/23	निरंक	12/03/23 से आज निर्णय दिनांक 24/09/25	कुल 927 दिन
02.	केवल साहू पिता फिरतू साहू उम्र 25 साल, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, थाना मोहगांव जिला के.सी.जी.(छ.ग.)	12/03/23	निरंक	12/03/23 से दिनांक 18/08/23	कुल 159 दिन

(कु. मोहनीं कंवर)

अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़

जिला–खैरागढ–छईखदान–गण्डई (छ.ग.)

प्रतिलिपि–

01. अध्यक्ष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

02. जिला मजिस्ट्रेट खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) को अपर लोक अभियोजक खैरागढ़ के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित ।

03. निर्णय के परिपालन में आरोपीगण को प्रदान किए जाने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल खैरागढ़, जिला मजिस्ट्रेट खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) को प्रेषित।

04– निर्णय के परिपालन में आरोपीगण को प्रेषित ।

05– थाना गण्डई, जिला मजिस्ट्रेट खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 50/2023 में मृतक की पत्नि बिंदु नेताम, आहत पन्नालाल एवं प्रार्थी पारथराम साहू को सूचनार्थ प्रेषित ।

MOHANEE KANWAR — Digitally signed by MOHANEE KANWAR

(कु. मोहनीं कंवर)

अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.)